इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 दिसम्बर 2011—अग्रहायण 18, शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2011

क्र. ई-5-484-आयएएस-लीव-एक-5 .—श्री प्रभाकर बंसोड़, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण एवं सा. प्र. वि. (मानव अधिकार) जेल विभाग को दिनांक 19 से 27 दिसम्बर 2011 तक, 9 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 दिसम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री प्रभाकर बंसोड़ की अवकाश अवधि में श्री पुखराज मारू, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, जन शिकायत निवारण एवं सा. प्र. वि. (मानव अधिकार), जेल विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रभाकर बंसोड़ को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण एवं सा. प्र. वि. (मानव अधिकार) जेल विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री प्रभाकर बंसोड द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण एवं सा. प्र. वि. (मानव अधिकार), जेल विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पुखराज मारू, जन शिकायत निवारण एवं सा. प्र. वि. (मानव अधिकार), जेल विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

(5) अवकाशकाल में श्री प्रभाकर बंसोड़ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभाकर बंसोड अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-684-आयएएस-लीव-एक-5.—श्री अमित राठौर, आयएएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग एवं पदेन संचालक, बजट को दिनांक 19 से 24 दिसम्बर 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 एवं 25 दिसम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग एवं पदेन संचालक, बजट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2011

क्र. ई-5-613-आयएएस-लीव-5-एक.—श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, आयएएस., प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 नवम्बर 2011 द्वारा दिनांक 5 से 18 नवम्बर 2011 तक चौदह दिन के स्वीकृत एक्स इंडिया अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुये अब उन्हें दिनांक 21 से 28 नवम्बर 2011 तक आठ दिन एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 नवम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. 4619-228-2011-5-एक.—श्री प्रभाकर बंसोड़, आयएएस., प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण एवं सा. प्र. वि. (मानव अधिकार) जेल विभाग के अस्वस्थ होने के कारण लघुकृत अवकाश पर रहने की सूचना दी हैं. श्री प्रभाकर बंसोड की लघुकृत अवकाश अवधि में श्री अशोक दास, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से जन शिकायत निवारण एवं सामान्य प्रशासन विभाग (मानव अधिकार) जेल विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2011

क्र. ई-5-561-आयएएस-लीव-एक-5.— श्री टी. धर्माराव, आयएएस., कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा को दिनांक 28 नवम्बर से 3 दिसम्बर 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 27 नवम्बर एवं 4 दिसम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री टी. धर्माराव की अवकाश अवधि में श्री प्रदीप खरे, आयएएस. कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री टी. धर्माराव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री टी. धर्माराव द्वारा कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रदीप खरे, कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री टी. धर्माराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री टी. धर्माराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2011

क्र. ई-5-97-आयएएस-लीव-एक-5.—श्रीमती रंजना चौधरी, आयएएस., अध्यक्ष व्यवसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल को दिनांक 22 नवम्बर 2011 से 4 जनवरी 2012 तक चौवालीस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती रंजना चौधरी की अवकाश अवधि में श्री संजय कुमार सिंह, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास तथा संस्कृति विभाग को अपने वर्तमान

कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रंजना चौधरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष व्यवसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती रंजना चौधरी द्वारा अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय कुमार सिंह व्यवसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती रंजना चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रंजना चौधरी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2011

क्र. ई-5-393-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रसन्न कुमार दाश, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 19 से 31 दिसम्बर 2011 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 दिसम्बर 2011 एवं 1 जनवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री प्रसन्न कुमार दाश की अवकाश की अवधि में श्री प्रमोद कुमार दास, आयएएस. प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य उद्योग विकास निगम, म. प्र. ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पो. लिमि. (ट्रायफेक) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रसन्न कुमार दाश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री प्रसन्न कुमार दाश द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रमोद कुमार दास, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री प्रसन्न कुमार दाश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रसन्न कुमार दाश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-667-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री पी. के. पाराशर, आयएएस., कमिश्नर, इन्दौर संभाग, इन्दौर को दिनांक 12 से 16 दिसम्बर 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 एवं 17, 18 दिसम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री पी. के. पाराशर की अवकाश अवधि में श्री राघवेन्द्र सिंह, आयएएस., कलेक्टर, जिला इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, इन्दौर संभाग, इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पी. के. पाराशर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, इन्दौर संभाग, इन्दौर के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री पी. के. पाराशर द्वारा कमिश्नर, इन्दौर संभाग, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राघवेन्द्र सिंह, कमिश्नर, इन्दौर संभाग, इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री पी. के. पाराशर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. के. पाराशर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2011

क्र. ई-5-476-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री दीपक खाण्डेकर, आयएएस., प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग तथा पर्यटन विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 16 से 20 जनवरी 2012 तक पांच दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 जनवरी 2012 एवं 21, 22 जनवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक खाण्डेकर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग तथा पर्यटन विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री दीपक खाण्डेकर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक खाण्डेकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2011

क्र. ई-5-486-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल, आयएएस., वि. क. अ.-सह-आयुक्त, उद्योग, म. प्र., प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य उद्योग निगम, प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य वस्त्र निगम, प्रबंध संचालक, म. प्र. लघु उद्योग निगम को दिनांक 12 से 16 दिसम्बर 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 एवं 17, 18 दिसम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी गई है.

(2) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल की अवकाश अवधि में श्री पी. के. दास, आयएएस., प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम, प्रबंध संचालक, म. प्र. ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि. (ट्रायफेक) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, वि.क. अ.-सह-आयुक्त, उद्योग म. प्र. प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य उद्योग निगम, प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य वस्त्र निगम तथा म. प्र. लघु उद्योग निगम का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न वि.क.अ.-सह-आयुक्त, उद्योग, म. प्र., प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य उद्योग निगम, प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य वस्त्र निगम, प्रबंध संचालक, म. प्र. लघु उद्योग निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल द्वारा वि.क. अ.-सह-आयुक्त, उद्योग म. प्र. प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य उद्योग निगम, प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य वस्त्र निगम प्रबंध संचालक म. प्र. लघु उद्योग निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. के. दास वि.क. अ.-सह-आयुक्त, उद्योग म. प्र. प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य उद्योग निगम, प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य वस्त्र निगम प्रबंध संचालक म. प्र. लघु उद्योग निगम के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद चन्द्र सेमवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-483-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. के. सिंह, आयएएस., प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 22 से 26 नवम्बर 2011 तक पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. के. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री के. के. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2011

क्र. ई-5-808-आयएएस-लीव-एक-5 .—(1) श्री राजेन्द्र शर्मा, आयएएस., कलेक्टर, जिला रतलाम को दिनांक 12 से 24 दिसम्बर 2011 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 एवं 25 दिसम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री राजेन्द्र शर्मा की अवकाश अवधि में श्री अमर सिंह बघेल, अपर कलेक्टर, जिला रतलाम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला रतलाम का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राजेन्द्र शर्मा द्वारा कलेक्टर, जिला रतलाम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमर सिंह बघेल, कलेक्टर, जिला रतलाम के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-795-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री जॉन किंग्सली ए. आर., आयएएस., कलेक्टर, जिला शिवपुरी को दिनांक 21 दिसम्बर 2011 से 3 जनवरी 2012 तक चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री जॉन किंग्सली ए. आर. की अवकाश अवधि में श्री आर. बी. प्रजापति, अपर कलेक्टर, जिला शिवपुरी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला शिवपुरी का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जॉन किंग्सली ए. आर. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला शिवपुरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री जॉन किंग्सली ए. आर. द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर. बी. प्रजापति, कलेक्टर, जिला शिवपुरी के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री जॉन किंग्सली ए. आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जॉन किंग्सली ए. आर. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-743-आयएएस-लीव-एक-5 .—(1) श्री एस. बी. सिंह, आयएएस., कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर को दिनांक 19 से 31 दिसम्बर 2011 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 दिसम्बर 2011 एवं 1 जनवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री एस. बी. सिंह की अवकाश की अवधि में श्री आकाश त्रिपाठी, आयएएस., कलेक्टर, जिला ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. बी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एस. बी. सिंह द्वारा कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आकाश त्रिपाठी, कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री एस. बी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. बी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-817-आयएएस-लीव-एक-5 .—(1) श्री राहुल जैन, आयएएस., कलेक्टर, जिला छतरपुर को दिनांक 12 से 20 दिसम्बर 2011 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री राहुल जैन की अवकाश अवधि में श्रीमती भावना वालिम्बे, अपर कलेक्टर (विकास) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छतरपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला छतरपुर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राहुल जैन द्वारा कलेक्टर, जिला छतरपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती भावना वालिम्बे, कलेक्टर, जिला छतरपुर के प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री राहुल जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-634-आयएएस-लीव-एक-5—(1) डॉ. मनोहर अगनानी, आयएएस., मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) को दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2011 एवं 1 जनवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. मनोहर अगनानी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. मनोहर अगनानी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मनोहर अगनानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2011

क्र. एफ-ए-5-29-2011-एक (1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदया श्रीमती इन्द्राणी दत्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय

ग्वालियर, खण्डपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	दिनांक 26-8-2011 से 30-8-2011 तक.	5 दिन	कम्युटेड अवकाश पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित.	अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31-8-2011 से 1-9-2011 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2011

क्र. ई-5-689-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री उमाकांत उमराव, आयएएस., मिशन संचालक, राजीव गांधी जलग्रहण मिशन एवं समन्वय, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम एवं पदेन अपर सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा संचालक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 2011 द्वारा दिनांक 17 से 31 अक्टूबर 2011 तक पन्द्रह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 17 से 22 अक्टूबर 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2011

क्र. ई-5-785-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजात शत्रु श्रीवास्तव, आयएएस., प्रबंध संचालक, म. प्र. कृषि विपणन बोर्ड-सह-संचालक, मंडी म. प्र. सह-अपर सचिव, मुख्यमंत्री को दिनांक 17 से 21 अक्टूबर 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजात शत्रु श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड-सह-संचालक, मंडी म. प्र. सह-अपर सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-862-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एम. सिबी चक्रवर्ती, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अनूपपुर को दिनांक 27 सितम्बर 2011 से 7 अक्टूबर 2011 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8,9 अक्टूबर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. सिबी चक्रवर्ती को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अनूपपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एम. सिबी चक्रवर्ती को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. सिबी चक्रवर्ती अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-817-आयएएस-लीव-5-एक.— श्री राहुल जैन, आयएएस., कलेक्टर, जिला छतरपुर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 अक्टूबर, 2011 द्वारा दिनांक 11 से 18 नवम्बर 2011 तक आठ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. ई-5-753-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. ई. रमेश कुमार, आयएएस., कलेक्टर, जिला सागर को अर्जित/लघुकृत अवकाश कार्योत्तर निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है:—

1. दिनांक 1 से 4 अक्टूबर 2011 तक चार दिन—अर्जित अवकाश.
2. दिनांक 5 से 15 अक्टूबर 2011 तक ग्यारह दिन—लघुकृत अवकाश.

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. ई. रमेश कुमार, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाश काल में डॉ. ई. रमेश कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. ई. रमेश कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-409-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री एस. आर. मोहन्ती, आयएएस., विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2011 द्वारा दिनांक 21 से 25 अक्टूबर 2011 तक पांच दिन का अर्जित

अवकाश स्वीकृत किया गया था. उक्त आदेश में संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 20 से 25 अक्टूबर 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2011

क्र. ई-5-370-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2011 द्वारा दिनांक 19 से 31 दिसम्बर 2011 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 19 दिसम्बर 2011 से 5 जनवरी 2012 तक अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 दिसम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2011

क्र. ई-5-484-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रभाकर बंसोड़, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण एवं सा.प्र.वि. (मानव अधिकार), जेल विभाग को दिनांक 19 से 23 अक्टूबर 2011 तक पांच दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रभाकर बंसोड़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव. मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण एवं सा.प्र.वि. (मानव अधिकार), जेल विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाश काल में श्री प्रभाकर बंसोड़ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभाकर बंसोड़ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-523-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती शिखा दुबे, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद् भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2011 द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर 2011 से 3 नवम्बर 2011 तक अठारह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 4 से 11 नवम्बर 2011 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 अक्टूबर 2011 एवं 12, 13 नवम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2011

क्र. ई-5-410-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राकेश अग्रवाल, आयएएस., संचालक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा, प्रशासन अकादमी, भोपाल को दिनांक 14 से 24 दिसम्बर 2011 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राकेश अग्रवाल को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न संचालक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाश काल में श्री राकेश अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-570-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजीत केसरी, आयएएस., सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 25 जुलाई 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश काल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऊषा परमार, अवर सचिव (कार्मिक).

गृह (सामान्य) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2011

क्र. एफ-03-61-2011-दो-ए(3).—राज्य शासन द्वारा सहायक कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य

कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति विभाग के जिला संयोजक, विकास खण्ड अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 29 जुलाई 2011 को प्रश्नपत्र-पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर

सागर संभाग

1	श्री नन्द कुमारम् (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर

शहडोल संभाग

2	श्री दिनेश तिवारी	राजस्व निरीक्षक
3	श्री मंगलदास चक्रवर्ती	राजस्व निरीक्षक

ग्वालियर संभाग

4	श्री श्याम मोहन श्रीवास्तव	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
5	श्री अशोक कुमार सक्सेना	सहा. अधी. भू-अभिलेख
6	श्रीमती मनीषा मिश्रा	राजस्व निरीक्षक
7	श्री शिव नन्दन सिंह कुशवाह	राजस्व निरीक्षक
8	श्री संजीव कुमार तिवारी	राजस्व निरीक्षक

इन्दौर संभाग

9	श्री सकरीया भिड़े	राजस्व निरीक्षक

भोपाल संभाग

10	श्री मनोहर कुल्हारे	राजस्व निरीक्षक
11	श्री शैलेन्द्र सिंह (सश्रेय)	डिप्टी कलेक्टर
12	कु. रितु चौहान	उप जिलाध्यक्ष
13	श्री राजेश राठौड़	डिप्टी कलेक्टर
14	श्री बृजेश सक्सेना	डिप्टी कलेक्टर
15	श्री श्रृंगार श्रीवास्तव (सश्रेय)	डिप्टी कलेक्टर
16	सुश्री तृप्ती श्रीवास्तव (सश्रेय)	डिप्टी कलेक्टर
17	श्री श्यामेन्द्र जायसवाल	डिप्टी कलेक्टर
18	कु. टीना यादव	डिप्टी कलेक्टर
19	श्री अभिजीत अग्रवाल (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
20	श्री अनुराग चौधरी (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
21	श्री अनय द्विवेदी (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
22	श्री गणेश शंकर मिश्रा (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
23	श्री आशीष सिंह (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
24	श्री भास्कर लाक्षाकार (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
25	श्री कर्मवीर शर्मा (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
26	श्री तरूण राठी (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
27	श्री कोशलेन्द्र विक्रम सिंह	सहायक कलेक्टर
28	श्री ओम प्रकाश सनोडियां	डिप्टी कलेक्टर
29	सुश्री तन्वी सुन्द्रियाल (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
30	कु. शिल्पा (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
31	श्री विवेक कुमार पाण्डेय	जिला संयोजक आ.ज.क.

जबलपुर संभाग

32	श्री राजेन्द्र सिंह तेकाम	राजस्व निरीक्षक

निम्नस्तर

सागर संभाग

1	श्री मनीराम गौड़	राजस्व निरीक्षक

शहडोल संभाग

2	श्री दिनेश कुमार पनिका	राजस्व निरीक्षक
3	श्री शिव शंकर मिश्र	राजस्व निरीक्षक
4	श्री कन्हैयालाल तेकाम	राजस्व निरीक्षक
5	श्री त्रिलोक सिंह पुसाम	राजस्व निरीक्षक
6	श्री श्यामलाल मोंगरे	राजस्व निरीक्षक
7	श्री मानसिंह मेंमार	सहा. अधि. भू-अभिलेख
8	श्री के. एम. चौधरी	अधीक्षक
9	श्री बैसाखू राम प्रजापति	राजस्व निरीक्षक
10	दिलीप श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक

ग्वालियर संभाग

11	श्री सूबालाल राजपूत	सहा. अधि. भू-अभिलेख
12	श्री विनोद कुमार चौरसिया	राजस्व निरीक्षक
13	श्री अनिल कुमार स्वर्णकार	राजस्व निरीक्षक
14	श्री दृगपाल सिंह बैस	राजस्व निरीक्षक
15	श्री महेश कुमार सोलंकी	राजस्व निरीक्षक
16	श्रीमती सुनीता देहलवार	राजस्व निरीक्षक
17	श्रीमती सरिता भदौरिया	राजस्व निरीक्षक
18	श्री जगदीश प्रसाद धागोरियां	राजस्व निरीक्षक
19	श्री राजेश शर्मा	राजस्व निरीक्षक
20	श्री विमल कुमार कुलश्रेष्ठ	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
21	श्री अजय शंकर शर्मा	राजस्व निरीक्षक
22	श्री महेन्द्र सिंह यादव	राजस्व निरीक्षक
23	श्री रामनिवास शर्मा	राजस्व निरीक्षक
24	श्री चन्द्रमोहन शर्मा	राजस्व निरीक्षक
25	श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी	राजस्व निरीक्षक
26	श्री अशोक सिंह तोमर	राजस्व निरीक्षक
27	श्री प्रमोद सिंह तोमर	राजस्व निरीक्षक
28	श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
29	श्री मुन्नालाल गौड़	राजस्व निरीक्षक
30	श्री राकेश कुमार ढोडी	राजस्व निरीक्षक
31	श्रीमती नीरज मिश्र	राजस्व निरीक्षक
32	श्री इलखुराम भगत	कार्या. अधीक्षक
33	श्री नरेन्द्र कुमार जैन	राजस्व निरीक्षक
34	डॉ. योगेन्द्र बाबू शुक्ल	राजस्व निरीक्षक
35	श्री धीरज सिंह परिहार	राजस्व निरीक्षक
36	श्री उत्तम कुमार शर्मा	राजस्व निरीक्षक
37	श्री श्रीराम गोयल	सहा. अधि. भू-अभिलेख
38	श्री मुकेश कुमार दुबे	राजस्व निरीक्षक

इन्दौर संभाग

39	श्री मुंशीराम कुमरे	राजस्व निरीक्षक
40	श्री बसंतराम बरखानियां	राजस्व निरीक्षक
41	श्री रजान सस्तियां	राजस्व निरीक्षक
42	श्री छगनलाल नागराज	राजस्व निरीक्षक
43	श्री चन्द्रपाल पाल	राजस्व निरीक्षक
44	श्री उदयवीर सिंह भावर	राजस्व निरीक्षक
45	श्री योगेन्द्र राजवैध	राजस्व निरीक्षक
46	श्री देवराम निहरता	राजस्व निरीक्षक
47	श्री धुलियां पालियां	राजस्व निरीक्षक
48	श्री मुन्नालाल बास्कले	राजस्व निरीक्षक
49	श्री रणजीत सिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक
50	श्री इगुसिंह गणावर	राजस्व निरीक्षक
51	श्री खूनी कुमार पंडोले	राजस्व निरीक्षक
52	श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा	राजस्व निरीक्षक
53	श्री कन्छेदीलाल जैन	राजस्व निरीक्षक
54	श्री भगवान दास तमखानियां	राजस्व निरीक्षक
55	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिटोके	राजस्व निरीक्षक
56	श्री सुनील कुमार बागुल	राजस्व निरीक्षक
57	श्री संतोष पाटील	राजस्व निरीक्षक
58	श्री संतोष कुमार शौनकिया	राजस्व निरीक्षक
59	श्री लखन लाल सोनी	राजस्व निरीक्षक
60	श्री मदनलाल टंगारे	राजस्व निरीक्षक
61	श्री त्रिलोक चन्द नागोत्रा	राजस्व निरीक्षक
62	श्री वरून कुमार उपाध्याय	राजस्व निरीक्षक
63	श्री योगेश मलतारे	राजस्व निरीक्षक
64	श्री रजनीश उपाध्याय	राजस्व निरीक्षक
65	श्री संतोष कुमार कुशवाह	राजस्व निरीक्षक
66	श्री रामलाल खेड़ेकर	राजस्व निरीक्षक
67	श्री भागीरथ चौहान	राजस्व निरीक्षक
68	श्री कमलराय सुनहरे	राजस्व निरीक्षक
69	श्री मनोज कुमार राय	राजस्व निरीक्षक
70	श्री सुरेश चन्द्र जैन	सहा.अधि.भू-अभिलेख
71	मो. फिरोज खान	राजस्व निरीक्षक
72	श्री राकेश पगारे	राजस्व निरीक्षक
73	श्री सुखराम गोलकर	राजस्व निरीक्षक

उज्जैन संभाग

74	श्री विनोद पटेल	राजस्व निरीक्षक
75	श्री सुरेश चन्द्र मिश्रा	राजस्व निरीक्षक
76	श्री दयाराम निगम	राजस्व निरीक्षक
77	श्री गोवर्धन लाल राजोरिया	राजस्व निरीक्षक
78	श्री मुन्नूसिंह बारस्कर	अधिक्षक भू-अभिलेख
79	श्री रघुनाथ मचार	राजस्व निरीक्षक
80	श्री रतन लाल डामोर	राजस्व निरीक्षक
81	श्री मांगीलाल चौहान	राजस्व निरीक्षक
82	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	राजस्व निरीक्षक
83	श्री प्रदीप कुमार गुप्ता	राजस्व निरीक्षक

भोपाल संभाग

84	श्री राजेश कुमार धाड़से	राजस्व निरीक्षक
85	श्री दीपक कुमार वैद्य	डिप्टी कलेक्टर
86	श्री अंकुर मेश्राम	डिप्टी कलेक्टर
87	श्री प्रहलाद सिंह मीना	राजस्व निरीक्षक
88	श्री राजू लोखण्डे	राजस्व निरीक्षक
89	श्री श्याम सिंह तारे	राजस्व निरीक्षक
90	श्री भैयालाल भील	राजस्व निरीक्षक
91	श्री कृष्ण कुमार बालापुरे	राजस्व निरीक्षक
92	श्री एन.एस. सिद्धीकी	कार्यालय अधीक्षक
93	श्री राजेश राम	राजस्व निरीक्षक
94	श्री राकेश पिप्पल	राजस्व निरीक्षक
95	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव	सहा. अधि. भू-अभिलेख

(1)	(2)	(3)
	जबलपुर संभाग	
96	श्री रामराज चौधरी	राजस्व निरीक्षक
97	श्री रधवा कोल	राजस्व निरीक्षक
98	श्री सुन्दर लाल दुबे	राजस्व निरीक्षक
99	श्री गोपीचन्द पवार	राजस्व निरीक्षक
100	श्री रामप्रताप सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
101	श्री सुरेश उपाध्याय	राजस्व निरीक्षक
102	श्री राजकुमार खरे	राजस्व निरीक्षक
103	श्री धमेन्द्र साहू	राजस्व निरीक्षक
104	श्री रामसेवक कौल	राजस्व निरीक्षक
105	श्री बृजबिहारी दुबे	राजस्व निरीक्षक
106	श्री जयसिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
107	श्री प्रेमनारायण सिंह गौड़	राजस्व निरीक्षक
108	श्री बी. के. सिंह मार्को	राजस्व निरीक्षक
109	श्री हेमन्त कुमार अवधिया	राजस्व निरीक्षक
110	श्री राजेन्द्र प्रसाद झारिया	राजस्व निरीक्षक
111	श्री राजेन्द्र प्रसाद सेन	राजस्व निरीक्षक
112	श्री राजेश कुमार पटवा	राजस्व निरीक्षक
113	श्री भरत सिंह राय	राजस्व निरीक्षक
114	श्री चरण सिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
115	श्री रतन शाह उइके	राजस्व निरीक्षक
116	श्री नरेन्द्र गनवीर	राजस्व निरीक्षक
117	श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
118	श्री उमेश सिंह कुशवाहा	राजस्व निरीक्षक
119	श्री अजय श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
120	श्री रमेश प्रसाद साहू	राजस्व निरीक्षक
121	श्री भागसिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक

क्र. एफ-03-63-2011-दो-ए(3).—राज्य शासन द्वारा पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 26 जुलाई 2011 को **प्रश्नपत्र-लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रश्नपत्र द्वितीय (पुस्तकों सहित)** विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थीयों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	भोपाल संभाग	
1	श्री रजनेश कुमार सोलंकी	जिला पंजीयक
2	श्री दिनेश कुमार गौतम	जिला पंजीयक
3	डॉ. पवन कुमार अहिरवार	जिला पंजीयक
4	कुमारी निधि जैन	जिला पंजीयक
5	कुमारी सपना स्मृति खेमरिया	जिला पंजीयक
6	डॉ. मंजुलता पटेल	जिला पंजीयक
7	कुमारी विभा मरकाम	जिला पंजीयक
8	श्री स्वप्नेश शर्मा	जिला पंजीयक
9	श्रीमती ऋतम्भरा द्विवेदी	जिला पंजीयक
10	डॉ. अमरेश नायडू	जिला पंजीयक
11	श्री विवेक कुमार दुबे	जिला पंजीयक
	निम्नस्तर	
	भोपाल संभाग	
1	सुश्री क्षिप्रा सेन	जिला पंजीयक

क्र. एफ-03-66-2011-दो-ए(3).—राज्य शासन द्वारा पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 26 जुलाई 2011 को **प्रश्नपत्र-लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रश्नपत्र प्रथम (बिना पुस्तकों के)** विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थीयों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	भोपाल संभाग	
1	श्री रजनेश कुमार सोलंकी	जिला पंजीयक
2	श्री दिनेश कुमार गौतम	जिला पंजीयक
3	डॉ. पवन कुमार अहिरवार	जिला पंजीयक
4	कुमारी निधि जैन	जिला पंजीयक
5	कुमारी सपना स्मृति खेमरिया	जिला पंजीयक
6	डॉ. मंजुलता पटेल	जिला पंजीयक
7	कुमारी विभा मरकाम	जिला पंजीयक
8	श्री स्वप्नेश शर्मा	जिला पंजीयक
9	श्रीमती ऋतम्भरा द्विवेदी	जिला पंजीयक
10	डॉ. अमरेश नायडू	जिला पंजीयक
11	सुश्री क्षिप्रा सेन	जिला पंजीयक
12	श्री विवेक कुमार दुबे	जिला पंजीयक

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2011

क्र. एफ-03-72-2011-दो-ए(3).—राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जुलाई 2011 को प्रश्नपत्र पुस्तपालन तथा कर निर्धारण (पुस्तकों

सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में निम्न सम्मिलित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	भोपाल संभाग	
1	श्रीमती जयश्री श्रीवास्तव	कराधान सहायक
	इन्दौर संभाग	
2	श्री युवराज पाटीदार	वाणिज्यिक कर अधिकारी
	जबलपुर संभाग	
2	श्रीमती रक्षा दुबे (चौबे)	वाणिज्यिक कर अधिकारी
	निम्नस्तर	
	भोपाल संभाग	
1	श्री रिधेश्वर कालभोर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
2	श्री उमेश कुमार राठौर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
3	श्री चिन्धु उइके	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
4	कु. पुनम धुर्वे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
5	श्रीमती माया वानखड़े	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
6	श्री नवीन भारद्वाज	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
7	श्री निर्मल कुमार परिहार	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
8	कु. सरिता भगत	सहा. वा. कर अधिकारी
	ग्वालियर संभाग	
9	श्री पारूल अग्रवाल	वाणिज्यिक कर अधिकारी
10	श्री राहुल भटनागर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
11	कु. दीपा नरवरियां	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
12	कु. स्वाति जैन	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
13	श्री गुरमीत सिंह वाधवा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
14	श्री हेमंत सूर्यवंशी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
15	श्री अरूण प्रताप सिंह भदौरिया	कराधान सहायक
16	श्री सतेन्द्र चौरसिया	वाणिज्यिक कर अधिकारी
17	श्री आशीष चौधराना	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
	इन्दौर संभाग	
18	कु. सपना पगारे	वाणिज्यिक कर अधिकारी
19	श्री सुनिल बांगर	वाणिज्यिक कर अधिकारी
20	श्रीमती संध्या सिलावट	वाणिज्यिक कर अधिकारी
21	श्री विनय रावत	सहा. वा. कर अधिकारी
22	श्री दिलीप सिंह कन्डारी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
23	श्री समर सिंह चौहान	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
24	श्री रवीश सिंह भदौरिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
25	श्री जीवन सिंह बैस	कराधान सहायक
26	श्री सीताराम आर्य	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
27	श्री राघवेन्द्र जायसवाल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
28	श्री नवीन दुबे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
29	श्री संतोष कतरौलिया	वाणिज्यिक कर अधिकारी
30	श्री अमित कुमार व्यास	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
31	डॉ. प्रियतमा सोनी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
32	श्री राजमणि सिंह	कराधान सहायक
33	श्री पप्पू सिंह मईड़ा	सहा. वा. कर अधिकारी
34	श्री हेमंत शर्मा	कराधान सहायक
35	डॉ. योगेश दायमा	कराधान सहायक
36	श्री अजय शर्मा	कराधान सहायक
37	श्री विकास चव्हाण	कराधान सहायक
38	श्री नितिन कुमार जैन	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
39	श्री रमेश चन्द्र अटोरे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
40	कु. राखी सोलंकी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
41	श्री देवेन्द्र कुमार जुगतावत	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
42	कु. पूनम श्रीवास्तव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
	सागर संभाग	
43	श्री कल्याण सिंह यादव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
44	श्री संतोष कुमार खरे	कराधान सहायक
45	श्री बालमुकुन्द चढ़ार	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
46	श्री उमेश कुमार कोरी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
47	श्री राजेन्द्र कुमार कुशराम	सहा. वा. कर अधिकारी
	जबलपुर संभाग	
48	श्री अजीत सिंह	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
49	श्री आर. बी. सिंह	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
50	श्री आशीष श्रीवास्तव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
51	श्री विजय कुमार पाण्डेय	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
52	श्री अनिल कुमार जैन	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
53	श्री जॉनी जैकब	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
54	श्री गणेश प्रसाद तिवारी	कराधान सहायक
55	श्री राजेश नायक	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
56	श्रीमती प्रतिमा सोनकेशरियां	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
57	श्री अनिल कुमार जैन	कराधान सहायक

क्र. एफ-03-75-2011-दो-ए(3).—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जुलाई 2011 को **प्रश्नपत्र द्वितीय-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित)** विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थीयों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	होशंगाबाद संभाग	
1	श्री नरसिंह बघेल	सहायक वन संरक्षक
2	श्री राकेश कुमार भट्ट	सहायक वन संरक्षक
3	श्री जे. पी. शर्मा	सहायक वन संरक्षक
	ग्वालियर संभाग	
4	श्री राजीव कौशल	वन क्षेत्रपाल
5	श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा	सहायक वन संरक्षक
6	श्री आनन्द सिंह चौहान	वन क्षेत्रपाल
7	श्री बी. पी. उपाध्याय	सहायक वन संरक्षक
	सागर संभाग	
8	श्री आर. एन. द्विवेदी	वन क्षेत्रपाल
9	श्री जगदीश प्रसाद राव	वन क्षेत्रपाल
	इन्दौर संभाग	
10	श्री भीमा मण्डलोई	सहायक वन संरक्षक
11	श्री बी. पी. पटेल	वन क्षेत्रपाल
12	श्री सभाराज सिंह परिहार	वन क्षेत्रपाल
13	श्री बुद्धि प्रकाश शर्मा	वन क्षेत्रपाल
14	श्री ओ. पी. शर्मा	सहायक वन संरक्षक
15	श्री मन्ना अजनार	सहायक वन संरक्षक
	भोपाल संभाग	
16	श्री सुनील कुमार भारद्वाज	वन क्षेत्रपाल
17	श्री राजीव श्रीवास्तव	वन क्षेत्रपाल
18	श्री महेश चन्द्र वर्मा	सहायक वन संरक्षक
19	श्री सुधीर कुमार पाठक	वन क्षेत्रपाल
20	श्री पी. डी. छोड़के	सहायक वन संरक्षक
21	श्री विजेन्द्र सिंह यादव	वन क्षेत्रपाल
22	श्री विनोद वर्मा	वन क्षेत्रपाल
23	श्री एच. पी. सिंह	सहायक वन संरक्षक
24	श्री केशव नारायण सक्सेना	सहायक वन संरक्षक
25	श्री मनोज कुमार सिंह भदौरिया	वन क्षेत्रपाल

(1)	(2)	(3)
	रीवा संभाग	
26	श्री पी. पी. एस. परिहार	सहायक वन संरक्षक
27	श्री चित्रसेन वर्मा	सहायक वन संरक्षक
28	श्री अजय पटैरियां	वन क्षेत्रपाल
	जबलपुर संभाग	
29	श्री चन्द्रभूषण गुप्ता	सहायक वन संरक्षक
30	श्री श्रवण कुमार पाण्डेय	सहायक वन संरक्षक
31	श्री एस. एल. सोनवे	सहायक वन संरक्षक
32	श्री अरूण प्रताप सिंह	वन क्षेत्रपाल
33	श्री हरीश कुमार सोनी	वन क्षेत्रपाल
34	श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा	सहायक वन संरक्षक
35	श्रीमती राखी नंदा	वन मण्डलाधिकारी
36	श्री एम. पी. ताम्रकर	सहायक वन संरक्षक
37	श्री एस. सी. खेर	सहायक वन संरक्षक
38	श्री तेजमान पाण्डेय	वन क्षेत्रपाल
39	विजय सिंह कुशरे	सहायक वन संरक्षक
40	श्री एम. बी. एस. चौहान	सहायक वन संरक्षक
41	श्री योगेश झारियां	सहायक वन संरक्षक
42	श्री विनय कुमार पाण्डेय	वन क्षेत्रपाल
	उज्जैन संभाग	
43	श्री शंकर लाल यादव	वन क्षेत्रपाल
44	श्री जमना लाल कोलार	सहायक वन संरक्षक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, उपसचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2011

क्र. एफ-12-23-2011-सात-2ए .—यत: राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक 273-74, दिनांक 18 अप्रैल 2007 के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि ग्राम करेली प. ह. नं. 17 तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर की निजी भूमि कुल किता 16 कुल रकबा 4.724 हे. मुख्य नहर निर्माण सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

2. और, यत:, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि उपरोक्त भूमि में से खसरा क्रमांक 169/6 कुल अर्जित रकबा 0.308 हेक्टेयर

में से 0.258 हेक्टेयर भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता नहीं है.

3. और, यतः, भूमिस्वामी को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है और ना ही उक्त भूमि का कब्जा लिया गया है, और ना ही भूमिस्वामी भू-अर्जन की कार्यवाही के फलस्वरूप किसी भी प्रकार की क्षति अथवा हर्जाने की मांग करेंगे और संबंधित भूमिस्वामी मुआवजा प्राप्त करने के लिये अधिकारी नहीं होंगे

4. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 48 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उपरिवर्णित खसरा क्रमांक 169/6 रकबा 0.308 में से 0.258 हेक्टेयर के अधिग्रहण करने की कार्यवाही से अपने से प्रत्याहृत करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. जैन, उपसचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2011

क्र. एफ-7-18-07-बत्तीस-1.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 65 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 जून 2011 द्वारा श्री जयसिंह कुशवाह, ग्वालियर को विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (काउन्टर मेग्नेट) ग्वालियर के अध्यक्ष पद पर दिनांक 17 अप्रैल 2011 से छः माह के लिये नियुक्त किया गया था यह अवधि दिनांक 16 अक्टूबर 2011 को समाप्त हो गई है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा श्री जयसिंह कुशवाह, ग्वालियर को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 65 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (काउन्टर मेग्नेट) ग्वालियर के अध्यक्ष पद पर दिनांक 17 अक्टूबर 2011 से छः माह के लिये अर्थात् दिनांक 16 अप्रैल 2012 तक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सक्सेना, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2011

क्र. एफ-3-75-2011-बत्तीस-**शुद्धि-पत्र.**—विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 जुलाई 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क(1) के अन्तर्गत नागदा विकास योजना हेतु समिति का पुनर्गठन किया गया है. उक्त आदेश में टंकण त्रुटिवश सरल क्रमांक (ङ) पर 'अध्यक्ष जनपद पंचायत, सोहागपुर' टंकित हो गया है. कृपया त्रुटि सुधार उपरांत 'अध्यक्ष जनपद पंचायत सोहागपुर' के स्थान पर 'अध्यक्ष जनपद पंचायत खाचरौद' पढ़ा जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2011

क्र. एफ-7-107-2004-बत्तीस.—राज्य शासन द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 6 सन् 1974) की धारा 4 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संचालक मंडल में निम्नानुसार नामनिर्देशन किये जाते हैं :—

(अ) अधिनियम की धारा 4(2)(ख) के अधीन राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य :—

(1) प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग
(2) प्रमुख सचिव, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग
(3) संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सेवायें
(4) मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग
(5) आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म. प्र.

(ब) अधिनियम की धारा 4(2)(ग) के अधीन स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य :—

(1) श्रीमती कृष्णा गौर, महापौर, नगरपालिक निगम, भोपाल
(2) श्री प्रभात साहू, महापौर, नगरपालिक निगम, जबलपुर
(3) श्री रामेश्वर अखण्ड, महापौर, नगरपालिक निगम, उज्जैन
(4) डॉ. अनिल तिवारी, अध्यक्ष, नगर पंचायत, त्यौंथर, जिला रीवा.
(5) श्रीमती अर्चना गुड्डू सिंह, अध्यक्ष नगरपालिका परिषद्, छतरपुर.

(स) अधिनियम की धारा 4(2)(घ) के अधीन कृषि, मछली पालन या उद्योग की श्रेणी से प्रतिनिधित्व करने वाले तीन अशासकीय सदस्य :—

(1) श्री हरभजन शिवहरें, ई-8/21, भरत नगर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल.
(2) श्री अभय दारे, (बी. ई. सिविल), 45 द्वारिका विहार कॉलोनी, तिली वार्ड, सागर.
(3) श्री अनिल यादव, पत्रकार, 7, जैन पाठशाला, गंजबासौदा, जिला विदिशा.

(द) अधिनियम की धारा 4(2) (ङ) के अधीन राज्य शासन के स्वामित्व के निगम/मंडल के प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य :—

(1) कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, मध्यप्रदेश, भोपाल.
(2) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, भोपाल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. अग्रवाल, उपसचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजागार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2011

क्र. एफ. 13-1-03-अ-ग्यारह.—राज्य शासन एतद्द्वारा ''ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम 1996'' की धारा-3 की उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, श्री अनुराग बंसल, निवासी ग्वालियर को ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से अध्यक्ष नामांकित करता है.

क्र. एफ. 13-11-10-अ-ग्यारह.—बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा-34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन अमरकंटक ताप विद्युत् गृह क्रमांक 3 की इकाई क्रमांक 5 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम. पी./ 4713 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबन्धों के प्रवर्तन से दिनांक 25 सितम्बर 2011 से 24 मार्च 2012 तक छः माह के लिये छूट देता है:—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. मध्यप्रदेश बायलर नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद रफीक खान, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2011

क्र. एफ 1(ए) 269-86-ब-2-दो.—श्री एम. आर. कृष्णा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि. पु.मु., भोपाल को The Second Course of Phase-V Mid Career Training Programme में दिनांक 14 नवम्बर 2011 से 3 दिसम्बर 2011 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 5 से 10 दिसम्बर 2011 तक यू. के. लंदन में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 11 से 14 दिसम्बर 2011 तक कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश (Ex-India) निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर, श्री एम. आर. कृष्णा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि. पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाश काल में श्री एम. आर. कृष्णा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. आर. कृष्णा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक दास, अपर मुख्य सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2011

क्र. एफ 46-2-2011-बीस-3.—राज्य शासन एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्य पुस्तकों संबंधी व्यवस्था) अधिनियम, 1973 (क्रमांक 13 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग लाते हुए, कक्षा 1 से 8 तक प्रत्येक के लिये विहित, विशिष्ट हिन्दी की पाठ्य पुस्तकों में शिक्षण सत्र 2011-12 में भगवत् गीता में बताए गए प्रसंगों पर आधारित, एक-एक अध्याय जोड़ने की अनुज्ञा प्रदान करता है.

यह आदेश इस विषय पर आगामी आदेश होने तक प्रभावशील रहेगा.

No. F. 46-02-2011-XX-3.—State Government hereby, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Prathamik, Middle School Tatha Madhyamik Shiksha (Pathya Pustakon Sambandhi Vyavastha) Adhiniyam, 1973 (No. 13 of 1973), permits to add one chapter each based on incidents enumberated in Bhagwat Geeta in the Text book of special Hindi prescribed to class I to VIII for the academic session 2011-12.

This order shall be effective till the further orders in this regard.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभा इवनाती, उपसचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

एफ 22-20-11-आठ.—मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा मंजिली गाड़ी अनुज्ञा-पत्र के अन्तर्गत आने वाले और नीचे विनिर्दिष्ट मार्गों पर अनन्यत: चलाए जा रहे समस्त लोक सेवा यानों को, इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से उस सीमा तक कर के भुगतान से आंशिक छूट प्रदान करती है जिससे कि ऐसे यानों पर कर की दर, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद चार की उपमद (ग) में विनिर्दिष्ट दर पर देय हो जाए :—

मार्ग

1. इन्दौर- मिसरोल
2. इन्दौर-सांवेर
3. इन्दौर-मानपुर

No. F. 22-20-2011-VIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 21 of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby partially exempts all public service vehicles covered under stage carriage permit and plying solely on the routes specified below, from the payment of tax to the extent that the tax on such vehicles shall be payable at the rate specified in sub-item (c) of item IV of first Schedule of the said act with effect from the date of publication of this Notification in the "Madhya Pradesh Gazette"

ROUTE

1. Indore- Misrole
2. Indore-Sanwer
3. Indore Manpur

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजनीश श्रीवास्तव, उपसचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

क्र. एफ.9-3-2005-ब-सोलह-**संशोधन.**—इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 5 नवम्बर 2011 की कंडिका दो की पंक्ति क्रमांक 3 में अंकित "छह मास" के स्थान पर "एक मास" स्थापित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. कबीरपंथी, अपर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2011

फा. क्र. 17(ई)-83-03-इक्कीस-ब(एक) 4034-2011.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्र. 17(ई)-83-03-इक्कीस-ब(1), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 15 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

क्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
"15.	भोपाल	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-1	श्री संजीव कालगांवकर, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-1.".

F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(one) 4034-2011.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment's in this Department's Notification F. No. 17(E) 83-03-XXI-B-1, dated 16th September, 2010, namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial number 15 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of The Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
"15.	Bhopal	Additional Sessions Judge, Special Court No. 1.	Shri Sanjeev Kalgaonkar, Additional Sessions Judge, Special Court No. 1."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2011

क्र. 3-खाद्य-2-35-2011.—खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं. 34) की धारा 3 की उपधारा (यख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, मध्यप्रदेश एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के उद्देश्य हेतु सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य को स्थानीय क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करते हैं.

S. No. 3-Food-2-35-2011.—In exercise of the powers conferred by sub-section (zb) of Section 3 of the Food Safety and Standards Act, 2006 the Commissioner of Food Safety, Madhya Pradesh hereby notify the Whole of the State of Madhya Pradesh to be the Local area for the purpose of the above Act.

अश्विनी कुमार राय, खाद्य सुरक्षा आयुक्त.

कार्यालय, कलेक्टर (श्रम विभाग) जिला झाबुआ मध्यप्रदेश

झाबुआ, दिनांक 18 नवम्बर 2011

क्र. 82-2011-भू-अभि. ब. श्र.-99—बंधक श्रमिक (प्रथा समाप्ति) अधिनियम, 1976 (क्र. 19-1976) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, श्रीमती जयश्री कियावत, कलेक्टर, जिला झाबुआ के लिये ''मध्यप्रदेश'' में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्षों की कालावधि के लिये निम्नानुसार जिला सतर्कता समिति का गठन करती हूं:—

जिला झाबुआ

धारा 13 की उपधारा ''2'' ''क'' के अधीन

जिला दण्डाधिकारी, झाबुआ अध्यक्ष

धारा 13 की उपधारा (2) ''ख'' के अधीन अ. जा./अ.ज.जा.वर्ग के तीन सदस्य

(1) श्री जेवियर मेड़ा, विधायक क्षेत्र, झाबुआ (अ.ज.जा.)
(2) श्री वालसिंह मेड़ा, विधायक क्षेत्र, पेटलावद (अ.ज.जा.)
(3) श्री वीरसिंह भूरिया, विधायक क्षेत्र, थांदला (अ.ज.जा.)

धारा 13 की उपधारा-2 के खण्ड ''ग'' के अधीन जिले के अधीन सामाजिक कार्यकर्ता दो सदस्य

1. श्री शरद शुक्ला अभिभाषक झाबुआ -सदस्य
2. श्री प्रदीप रूनवाल सामाजिक कार्यकर्ता झाबुआ. -सदस्य

धारा 13 की उपधारा-2 के खण्ड ''घ'' के अधीन

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत झाबुआ (म. प्र.) -सदस्य
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
   जिला झाबुआ (म. प्र.) -सदस्य
3. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी
   सेवा संभाग झाबुआ (म. प्र.) -सदस्य

धारा 13 की उपधारा (2) खण्ड ''ड'' के अधीन

1. प्रबंधक,
   जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक
   मर्यादित झाबुआ, जिला झाबुआ (म. प्र.) -सदस्य

जयश्री कियावत, कलेक्टर.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
''निर्वाचन भवन''
58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2011

आदेश

क्र. एफ. 67-186-10-तीन-1983—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार **अध्यक्ष** के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार **अध्यक्ष** का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'',

दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत बिजावर जिला छतरपुर के आम निर्वाचन में सुश्री इन्द्रा** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत बिजावर जिला छतरपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के पत्र क्र. 370/स्था.निर्वा./10, दिनांक 1 फरवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री इन्द्रा** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री इन्द्रा** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 19 फरवरी 2010 को जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी **छतरपुर** के माध्यम से दिनांक 21 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री इन्द्रा को नोटिस दिनांक 21 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 5 अप्रैल, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर छतरपुर ने अपने पत्र दिनांक 02 मई 2011 में लेख किया कि अभ्यर्थी के द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत ही नहीं किया गया है. उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 4 जुलाई 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 18 अगस्त, 2011 को उपस्थित होने हेतु सूचना-पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली कलेक्टर छतरपुर द्वारा दिनांक 06 अगस्त 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए है. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री इन्द्रा** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत बिजावर जिला छतरपुर** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से पांच वर्ष (5 वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2011

आदेश

क्र. एफ. 67-186-10-तीन-1984—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार **अध्यक्ष** के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार **अध्यक्ष** का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत बिजावर जिला छतरपुर के आम निर्वाचन में सुश्री शहनाज सिद्दकी** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत बिजावर जिला छतरपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के पत्र क्र. 370/

स्था.निर्वा./10, दिनांक 1 फरवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री शहनाज सिद्दकी** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री शहनाज सिद्दकी** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 19 फरवरी 2010 को जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के माध्यम से दिनांक 21 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री शहनाज सिद्दकी को नोटिस दिनांक 21 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 5 अप्रैल, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर छतरपुर ने अपने पत्र दिनांक 02 मई 2011 में लेख किया कि अभ्यर्थी के द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत ही नहीं किया गया है. उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 4 जुलाई 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 18 अगस्त, 2011 को उपस्थित होने हेतु सूचना-पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली कलेक्टर छतरपुर द्वारा दिनांक 02 अगस्त 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए है. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री शहनाज सिद्दकी** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत बिजावर जिला छतरपुर** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से पांच वर्ष (5 वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2011

आदेश

क्र. एफ. 67-186-10-तीन-1985—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार **अध्यक्ष** के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार **अध्यक्ष** का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत बिजावर जिला छतरपुर के आम निर्वाचन में सुश्री सरोज डॉ. कौशल भटनागर** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. **नगर पंचायत बिजावर जिला छतरपुर** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के पत्र क्र. 370/स्था.निर्वा./10, दिनांक 1 फरवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री सरोज डॉ. कौशल भटनागर** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री सरोज डॉ. कौशल भटनागर** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 19 फरवरी 2010 जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के माध्यम से दिनांक 21 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था.

नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री सरोज डॉ. कौशल भटनागर को नोटिस दिनांक 21 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 5 अप्रैल, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर **छतरपुर** ने अपने पत्र दिनांक 02 मई 2011 में लेख किया कि अभ्यर्थी के द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत ही नहीं किया गया है. **उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरांत** आयोग द्वारा दिनांक 4 जुलाई 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 18 अगस्त, 2011 को उपस्थित होने हेतु सूचना-पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली कलेक्टर **छतरपुर** द्वारा दिनांक 02 अगस्त 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए है. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री सरोज डॉ. कौशल भटनागर** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत बिजावर जिला छतरपुर** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से पांच वर्ष (5 वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2011

आदेश

क्र. एफ. 67-186-10-तीन-1986—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार **अध्यक्ष** के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार **अध्यक्ष** का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत बिजावर जिला छतरपुर के आम निर्वाचन में सुश्री सुशीला सोनकिया** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं. **नगर पंचायत बिजावर जिला छतरपुर** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी **छतरपुर** के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी **छतरपुर** के पत्र क्र. 370/स्था.निर्वा./10, दिनांक 1 फरवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री सुशीला सोनकिया** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री सुशीला सोनकिया** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 19 फरवरी 2010 को जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के माध्यम से दिनांक 21 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री सुशीला सोनकिया को नोटिस दिनांक 21 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 5 अप्रैल, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर **छतरपुर** ने अपने पत्र दिनांक 02 मई 2011 में लेख किया कि अभ्यर्थी के द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत ही नहीं किया गया है. **उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरांत** आयोग द्वारा

दिनांक 4 जुलाई 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 18 अगस्त, 2011 को उपस्थित होने हेतु सूचना-पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली कलेक्टर छतरपुर द्वारा दिनांक 06 अगस्त 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री सुशीला सोनकिया** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत बिजावर जिला छतरपुर** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से पांच वर्ष (5 वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2011

आदेश

क्र. एफ. 67-278-10-तीन-1988—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार **अध्यक्ष** के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार **अध्यक्ष** का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई 2010 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत कोटर जिला सतना** के आम निर्वाचन में **श्री विद्याधर कुशवाहा** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. **नगर पंचायत कोटर जिला सतना** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 28 जुलाई, 2010 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 27 अगस्त, 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी **सतना** के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी **सतना** के पत्र क्र. 1321/स्था.निर्वा./2010, दिनांक 18 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री विद्याधर कुशवाहा** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री विद्याधर कुशवाहा** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 9 नवम्बर, 2010 को जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के माध्यम से दिनांक 31 दिसम्बर 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री विद्याधर कुशवाहा को नोटिस दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 को तामील हो गया था. अत: उनको दिनांक 15 जनवरी, 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर **सतना** ने अपने पत्र दिनांक 25 जुलाई, 2011 में लेख किया कि कारण बताओ नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी अभ्यर्थी **श्री विद्याधर कुशवाहा** द्वारा आज दिनांक तक किसी प्रकार का जवाब, लिखित अभ्यावेदन अथवा मौखिक सुनवाई हेतु आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. कलेक्टर सतना से उक्त जानकारी प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 16 अगस्त, 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष दिनांक 27 सितम्बर, 2011 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली कलेक्टर सतना द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में

कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री विद्याधर कुशवाहा** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत कोटर जिला सतना** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से पांच वर्ष (5 वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2011

आदेश

क्र. एफ. 67-278-10-तीन-1989—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार **अध्यक्ष** के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार **अध्यक्ष** का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई 2010 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत कोटर जिला सतना के आम निर्वाचन में श्री महेन्द्र सिंह ''मीरू''** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. **नगर पंचायत कोटर जिला सतना** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 28 जुलाई, 2010 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 27 अगस्त, 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पत्र क्र. 1321/स्था.निर्वा./2010, दिनांक 18 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री महेन्द्र सिंह ''मीरू''** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री महेन्द्र सिंह ''मीरू''** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 9 नवम्बर, 2010 को जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के माध्यम से दिनांक 6 जनवरी 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री महेन्द्र सिंह ''मीरू'' को नोटिस दिनांक 6 जनवरी, 2011 को तामील हो गया था. अत: उनको दिनांक 21 जनवरी, 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर **सतना** ने अपने पत्र दिनांक 25 जुलाई, 2011 में लेख किया कि कारण बताओ नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी अभ्यर्थी **श्री महेन्द्र सिंह ''मीरू''** द्वारा आज दिनांक तक किसी प्रकार का जवाब, लिखित अभ्यावेदन अथवा मौखिक सुनवाई हेतु आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. कलेक्टर सतना से उक्त जानकारी प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 16 अगस्त, 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष दिनांक 27 सितम्बर, 2011 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली कलेक्टर सतना द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए है. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री महेन्द्र सिंह ''मीरू''** को इस प्रकार

चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत कोटर जिला सतना** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से पांच वर्ष (5 वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2011

आदेश

क्र. एफ. 67-278-10-तीन-1990—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार **अध्यक्ष** के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार **अध्यक्ष** का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई 2010 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत कोटर जिला सतना के आम निर्वाचन में पंडित कैलाश प्रसाद मिश्रा** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. **नगर पंचायत कोटर जिला सतना** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 28 जुलाई, 2010 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 27 अगस्त, 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पत्र क्र. 1321/स्था.निर्वा./2010, दिनांक 18 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **पंडित कैलाश प्रसाद मिश्रा** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **पंडित कैलाश प्रसाद मिश्रा** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 9 नवम्बर, 2010 को जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के माध्यम से दिनांक 6 जनवरी, 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

पंडित कैलाश प्रसाद मिश्रा को नोटिस दिनांक 6 जनवरी, 2011 को तामील हो गया था. अतः उनको दिनांक 21 जनवरी, 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर **सतना** ने अपने पत्र दिनांक 25 जुलाई, 2011 में लेख किया कि कारण बताओ नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी अभ्यर्थी **पंडित कैलाश प्रसाद मिश्रा** द्वारा आज दिनांक तक किसी प्रकार का जबाव, लिखित अभ्यावेदन मौखिक सुनवाई हेतु आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. कलेक्टर सतना से उक्त जानकारी प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 16 अगस्त, 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष दिनांक 27 सितम्बर, 2011 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली कलेक्टर सतना द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए है. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **पंडित कैलाश प्रसाद मिश्रा** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत कोटर जिला सतना** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से पांच वर्ष (5 वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्र. 5453-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 01-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	जावरा	1. डेहरी	1.245	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम.	पेलादड़ी तालाब योजना के नहर निर्माण में प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.
		2. जोगी पिपल्या	1.144		
		कुल रकबा :	2.389		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रतलाम, दिनांक 24 नवम्बर 2011

क्र. 5738-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 02-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	सैलाना	1. घोड़ादेह	0.50	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम.	चावलाखेड़ी तालाब के नहर निर्माण में प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.
		2. सरवन	1.36		
		3. नेगड़ापाड़ा	0.57		
		4. श्यामपुरा	0.34		
		कुल रकबा :	2.77		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 16 नवम्बर 2011

क्र. 4180-भू-अर्जन-2011-राजस्व पत्रक क्र. अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	जुनाखेड़ा	0.21	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र-1, झाबुआ.	पनास तालाब नहर निर्माण हेतु
		योग :	0.21		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 18 नवम्बर 2011

प्र. क्र. 10-अ-82-2010-11-505.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			सर्वे नम्बर	रकबा (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
गुना	कुंभराज	बिरयाई	289	0.481	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राघौगढ़.	बिरयाई सिंचाई तालाब/ नहर निर्माण योजना.
			290/2	1.000		
			291/1	0.941		
			291/2	0.160		
			291/3	0.720		
			379/1	0.430		
			379/2	0.574		
			381/1	0.121		
			381/2	1.000		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			381/3	1.000		
			383	0.993		
			386	1.568		
			387	1.264		
			390	5.132		
			391/1	0.225		
			391/2	0.224		
			393	0.982		
			394	0.460		
			395/1	0.627		
			404/1/1	0.042		
			6	0.636		
			8	1.223		
			9	2.132		
			10/1	0.578		
			10/2/1	0.579		
			10/2/2	0.578		
			11	0.366		
			13	2.142		
			15	0.836		
			22	0.220		
			27/504/3	0.178		
			27/504/2	1.490		
			404/1/2	0.941		
			27/504/1ख	0.674		
			27/4	0.021		
			27/9	0.314		
			27/11	0.895		
			27/12	1.000		
			27/13	1.000		
			27/14	0.895		
			27/15	1.000		
			27/16	2.000		
			27/19	0.836		
		डूब क्षेत्र	योग :	38.478		
		नहर प्रणाली क्षेत्र	154	0.418		
			155	0.031		
			150	0.052		
			158	0.029		
			148	0.070		
			149	0.031		
			147	0.073		
			160	0.209		
			126	0.138		
			124	0.073		
			125	0.200		
			132	0.031		
			123	0.132		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			122	0.085		
			121	0.093		
			79/2	0.052		
			78	0.011		
			77/1	0.022		
			76	0.167		
			75	0.065		
			74	0.147		
			55	0.198		
			51/2/2	0.042		
			53	0.021		
			54	0.021		
			45	0.042		
			44	0.021		
			36	0.063		
			46	0.032		
			48	0.032		
			49	0.042		
			404/2/1	0.021		
			404/2/2	0.021		
			402	0.070		
			403	0.055		
			406	0.125		
			401	0.054		
			410	0.200		
			411	0.205		
			420	0.395		
			371/6	0.170		
			370	0.115		
			368/2	0.115		
			221	0.085		
			220/2	0.100		
			215	0.347		
			445/1/2	0.836		
			445/1/3	0.867		
			445/2	1.067		
		(नहर प्रणाली क्षेत्र) योग :		7.491		
		(तालाब डूब क्षेत्र) योग :		38.478		
		कुल योग (डूब क्षेत्र+नहर क्षेत्र)		45.969		

(1) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, चॉचौड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(2) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, चॉचौड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2011

प्र.क्र.-08-भू-अर्जन-अ-82-2010-11.—**त्रुटि सुधार उद्घोषणा**—ग्राम बर्री बगराज तहसील बैरसिया, जिला भोपाल की सम्राट अशोक सागर जलाशय के जलस्तर 1504 से 1508 फीट तक बढ़ाने हेतु धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन किया गया था, जिसमें कॉलम नं. 4 में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि का प्रकाशन हो गया था के स्थान पर सही प्रविष्टि का प्रकाशन किया जा रहा है, जो निम्नानुसार है :—

त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि जिसका प्रकाशन हुआ है			**संशोधित प्रविष्टि**		
	लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले हैं			लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले हैं	
क्र.	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)	क्र.	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
1	87, 82/2, 89/1, 189/1	2.454	1	87, 88/2, 89/1, 189/1	2.454
2	87, 82/2, 89/1, 189/2	1.011	2	87, 88/2, 89/1, 189/2	1.011
3	87, 82/2, 89/1, 189/3	1.064	3	87, 88/2, 89/1, 189/3	1.064
4	87, 82/2, 89/1, 189/4	0.242	4	87, 88/2, 89/1, 189/4	0.242

अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 धारा (6) की उद्घोषणा में प्रकाशित त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि के स्थान पर संशोधित प्रविष्टि पढ़ा जावे.

निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर, जिला भोपाल.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 24 नवम्बर 2011

नस्ती क्रमांक 83-11-एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र. 55-अ-82-10-11.—**शुद्धिपत्र**—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन के निर्माण हेतु ग्राम पिपलकोटा, तहसील पुनासा, जिला पूर्व निमाड़, खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 55-अ-82-10-11 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन म. प्र. राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 9-9-11 को समाचार-पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 16-9-2011 एवं चौथा संसार में दिनांक 25-9-2011 एवं आम इश्तहार दिनांक 12-9-2011 को हुआ है. उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे :—

प्रकाशन जिसमें हुआ	पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि		सही संशोधित प्रविष्टि	
	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
म. प्र. राजपत्र, भाग-1 में	429	0.03	429	0.12
दिनांक 9-9-11	431	0.04	विलोपित	विलोपित
	433/1	0.04	विलोपित	विलोपित
	433/2	0.01	विलोपित	विलोपित

प्रकाशन जिसमें हुआ	पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि		सही संशोधित प्रविष्टि	
	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
दैनिक भास्कर में	429	0.03	429	0.12
दिनांक 16-9-11	431	0.04	विलोपित	विलोपित
	433/1	0.04	विलोपित	विलोपित
	433/2	0.01	विलोपित	विलोपित
चौथा संसार में	429	0.03	429	0.12
दिनांक 25-9-11	431	0.04	विलोपित	विलोपित
	433/1	0.04	विलोपित	विलोपित
	433/2	0.01	विलोपित	विलोपित
आम इश्तहार में	429	0.03	429	0.12
दिनांक 12-9-11	431	0.04	विलोपित	विलोपित
	433/1	0.04	विलोपित	विलोपित
	433/2	0.01	विलोपित	विलोपित

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 1.40 हेक्टर यथावत रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 24 नवम्बर 2011

प्र. क्र. -भू-अर्जन-11-12-अ 82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	विदिशा	सोंठिया	0.292	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, विदिशा.	सोंठिया से अहमदपुर मार्ग व्हाया परसौरा मार्ग निर्माण.
		गेहूंखेड़ी	0.126		
			योग : 0.418		

भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 25 नवम्बर 2011

क्र. -भू.अ.अ.-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	जबेरा	कटंगी	1.95	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह (म.प्र.).	छोटी कटंगी जलाशय के बांध एवं नहर हेतु (पूरक प्रकरण).
			कुल योग : 1.95		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तेंदूखेड़ा (दमोह) तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवानंद दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दसौर, दिनांक 26 नवम्बर 2011

ई.क्र.-15-प्र.क्र. 1-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मन्दसौर	सीतामऊ	नाटाराम	2.211 कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मन्दसौर.	कोटेश्वर तालाब की नहर हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, सीतामऊ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर दिनांक 29 नवम्बर 2011

क्र. -भू-अर्जन-2011-1350-प्र. क्र. 5-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	भाबरा	सेजावाड़ा	4.50	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर.	सेजावाड़ा तालाब क्र. 3 योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. -भू-अर्जन-2011-1354-प्र. क्र. 06-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	भाबरा	किलाना	13.10	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर.	झीरण सिंचाई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. -भू-अर्जन-2011-1356-प्र. क्र. 7-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	भाबरा	जवास	20.46	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर.	झीरण सिंचाई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. -भू-अर्जन-2011-1352-प्र. क्र. 8-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	जोबट	उबगारी	17.42	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर.	उबगारी तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. -भू-अर्जन-2011-1361-प्र. क्र. -अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	भाबरा	झीरण	2.50	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर.	झीरण सिंचाई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. -भू-अर्जन-2011-1363-प्र. क्र. -अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	जोबट	बड़ीजुवारी	2.55	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर.	उबगारी तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुष्पलता सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 30 नवम्बर 2011

क्र. 45-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	भितरवार	कैथोद	2.873 योग : 2.873	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग-1, डबरा, ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु ग्राम कैथोद की भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 30 नवम्बर 2011

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. -10-पत्र क्र. 409-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	शाहा	26.574	अनुविभागय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी,रघुराजनगर, जिला सतना.	रेवती सीमेन्ट प्लांट की स्थापना हेतु.
		रामपुर चौरासी	1.457		
			योग : 28.031		

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 30 नवम्बर 2011

क्र. 2058-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	महुरछ कंदैला	2.22	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र.-2, सतना.	बाणसागर परियोजना के हिनौती माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2060-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	बैरिहा	14.870	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र.-2, सतना.	बाणसागर परियोजना के झांझर माइनर नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 1 दिसम्बर 2011

क्र. 16626-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	नरसिंहगढ़	कुंवर कोटरी	11.339	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म. प्र.).	कुंवर चैन सागर (दूधी) परियोजना अन्तर्गत रिवर ट्रेनिंग कार्य हेतु भूमि.

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 16 नवम्बर 2011

प्र. क्र. 12-अ-82-09-10-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत एतद्वारा द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—विदिशा
(ग) ग्राम—भियाखेड़ी
(घ) क्षेत्रफल—0.732 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
113/2	0.060
93/1/2	0.058
93/2	0.058
93/3	0.059
94	0.072
88	0.171
92	0.234
84/1	0.012
138	0.008
योग . .	0.732

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पीपलखेडा नहर की माइनर आर.एम.1 का निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 16 नवम्बर 2011

क्र. 5489-भू-अर्जन-2011-प्रकरण क्रमांक-7-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रतलाम
(ख) तहसील—जावरा
(ग) ग्राम—पेलादड़ी, देहरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—30.17 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
ग्राम—पेलादड़ी	
9	0.02
10	0.22
20	0.33
37	1.43
53	0.56
52	0.98
40	3.41
51	0.02
44	0.71
43	0.54
41	0.71
18	1.85
19	2.17
21	0.40
22	0.08
23	0.08
36	0.19

(1)	(2)
130	0.58
34	0.17
35	0.49
59	0.36
54	0.13
49	0.02
152	0.05
38	0.60
60	0.18
61	0.13
62	0.18
50	0.10
42	1.29
110	0.28
16	0.04
39	1.02
131	0.10
142	0.02
150	0.32
149	0.37
151	0.31
140	0.51
138	0.49
134	0.87
135	0.99
136	0.77
137	1.00
15	0.02
160	1.74
3	0.04
13	0.48
128/2	0.26
124	0.10
87/6	0.16
95	0.10
कुल रकबा	**27.97**

(1)	(2)
ग्राम—देहरी	
221	0.97
222/1	0.81
222/2	0.42
कुल रकबा	**2.20**
कुल रकबा	**30.17**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ग्राम पेलादड़ी तालाब निर्माण से प्रभावित भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रतलाम, दिनांक 21 नवम्बर 2011

क्र. 5601-भू-अर्जन-2011-प्रकरण क्रमांक-6-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रतलाम

(ख) तहसील—आलोट/ताल

(ग) ग्राम—खराबड़ी, खेजड़िया-गुजरान, चारखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—45.32 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
ग्राम—खराबड़ी	
12	0.08
13/1	0.46
13/2	0.60
45	0.03
46	0.45
47	0.04
48	0.52
49/1	0.20

(1)	(2)
49/2	0.20
49/3	0.20
49/4	0.19
49/5	0.19
50/1	0.49
50/2	0.49
51	0.59
52	0.98
53	1.45
56	0.51
59	0.32
73	0.68
74	1.35
75	0.15
76	0.92
77	0.10
80	0.56
81	0.57
82	0.36
83	0.54
84	1.30
85	0.93
86	0.39
87	0.43
88/1	0.55
88/2	0.28
88/3	0.27
89,90	0.84
91	0.85
93/1	0.48
93/2	0.50
93/3	0.50
94/1	0.08
94/2	0.29
94/3	0.30
95/1	0.39
95/2	0.40
96/1	0.29
96/2	0.30
97/1	0.19
97/2	0.18
98/1	0.29
98/2	0.29
99/1	0.38
99/2	0.72
100/1	0.36
100/2	0.35
101	0.75
102	0.54
103/1	0.76
103/2	1.92
105	0.22
106	0.26
107/1	0.47
107/2	0.11
109	0.24
114	0.24
118	0.05
120/1	0.11
120/2	0.16
120/3	0.67
120/4	0.15
121	0.39
122	0.36
123/1	0.30
123/2	0.30
125	0.60
126	0.44
127	0.19
128	0.11
कुल रकबा	34.69

ग्राम—खेजड़िया गुजरान

सर्वे क्रमांक	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
49/2	0.10
49/3	0.10
79	0.03
कुल रकबा	0.23

ग्राम—चारखेड़ी

सर्वे क्रमांक	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
7	0.04
8/1	0.11
8/2	0.13
15/1	0.05
16/1/2	0.08
16/2	0.11
18	0.07
19	0.18
20/1	0.04
20/2	0.14
20/3	0.14
21/1	0.10
21/2	0.22
21/3	0.22
23	0.16
25	0.48
43	0.23
44	0.18
45	0.56
46	0.41
47	0.66
48/1	0.31
48/2	0.10
49/1	0.15
49/2	0.15
50	1.41
51	0.63
52	0.20
55	0.10
56	0.18
58	0.17
59	0.72
60	0.06
63	0.62
64	0.83
108	0.08
109	0.34
110	0.04
कुल रकबा	10.40
कुल रकबा	45.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बरखेड़ाखुर्द तालाब निर्माण से प्रभावित भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आलोट के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 21 नवम्बर 2011

प्र. क्र. 06-अ-82-2010-2011 कले.-516.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—गुना

(ख) तहसील—कुंभराज

(ग) ग्राम—खेडीकला मजरा पागड़ीघाटा एवं वंडावर्डा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.777 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
488	0.290
512/2	0.355
489	0.038

(1)	(2)
493	0.825
490/1	0.131
490/2	0.392
491	0.324
486	0.009
487	0.195
484	0.168
483	0.155
482/2	0.071
436/1/2	2.000
429/5	0.207
513/2	0.627
योग . .	5.777

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पागडीघाटा तालाब सिंचाई योजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व चॉचौड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 07-अ-82-2010-2011 कले.-518.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—गुना

(ख) तहसील—कुंभराज

(ग) नगर/ग्राम—भोगीपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.475 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
29	0.070
41/14	0.145
41/6	0.260
योग . .	0.475

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सोल्यावेह तालाब सिंचाई निर्माण योजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व चॉचौड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 08-अ-82-2010-2011 कले.-520.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—गुना

(ख) तहसील—कुंभराज

(ग) नगर/ग्राम—भोजपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.595 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
94/5	0.600
94/6	0.600
94/8	0.650
94/9	0.700
94/10	0.627
94/11	0.418
योग . .	3.595

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—भोजपुरा तालाब सिंचाई योजनान्तर्गत नहर एवं वेस्ट वियर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व चॉचौड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 11-अ-82-2010-2011 कले.-522.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—गुना

(ख) तहसील—कुंभराज

(ग) नगर/ग्राम—वीरपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—13.968 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
110/1	0.680
83	0.157
78/5/1क	0.523
78/5/1ख	0.522
78/5/2	1.045
78/6/1	0.366
78/6/2	0.366
78/4	1.463
55/3	1.500
55/2	0.784
23	2.006
24	1.672
16/1	0.314
17/2	0.470
18/1/2	0.418
21	1.588
11/2/1	0.052
24/122	0.042
योग . .	13.968

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बिरयाई जलाशय लघु सिंचाई योजनान्तर्गत तालाब निर्माण डूब क्षेत्र.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व चॉचौड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 12-अ-82-2010-2011 कले.-524.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—गुना

(ख) तहसील—कुंभराज

(ग) नगर/ग्राम—भमावद

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.689 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
4	0.147
5	0.137
14	0.220
15	0.042
16/1	0.093
16/2/1	0.065
17	0.044
3/2/5	0.127
16/2/2	0.065
295/2	0.147
297	0.063
298	0.100
45/2	0.147
44	0.137
301/1/1	0.105
302	0.085
304	0.264
310	0.127
313	0.127
314	0.127
318/1	0.045
321	0.242
325/4	0.022
42	0.011
योग . .	2.689

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बिरयाई तालाब योजनान्तर्गत (LBC & RBC) नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व चॉचौड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 13-अ-82-2010-2011 कले.-526.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—गुना

(ख) तहसील—चॉचौडा

(ग) नगर/ग्राम—जटेरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.169 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
103/1	0.200
102/2/1	0.060
102/2/2	0.040
84/3/2	0.140
322	0.160
319/1घ	0.111
35/373/2	0.124
338/2	1.078
339/1	0.800
340/394/1	1.000
368/3	0.456
योग . .	4.169

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—जटेरी तालाब/नहर निर्माण योजनान्तर्गत शेष भूमियों का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व चॉचौड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 23 नवम्बर 2011

प्र. क्रं. 1-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर

(ख) तहसील—इछावर

(ग) ग्राम—भाऊ खेडी, पालखेडी, जमोनिया हटेसिंह.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.562, 0.992, 0.1134 = 2.667 हेक्टर.

ग्राम—भाऊखेड़ी

सर्वे नम्बर	रकबा (हैक्टयर में)
(1)	(2)
317/5	0.012
317/8	0.049
317/10	0.012
313	0.040
314/3	0.089
283/12	0.057
283/19	0.045
283/15	0.028
289	0.162
317/6	0.024
317/9	0.032
317/11	0.069
312	0.061
314/4	0.040
283/18	0.040
283/13	0.032
286/1	0.153
288	0.101
291/7	0.040
291/8	0.082
291/9	0.040
291/11	0.033
291/6	0.012
273/7	0.040
273/6	0.040
291/14	0.016
291/16	0.058
291/10	0.033
291/12	0.033
291/13	0.033
273/5	0.040
273/8	0.016
योग :	1.562

ग्राम—पालखेड़ी

(1)	(2)
24	0.042
25/2	0.081
38/1	0.024
39/2	0.042
21	0.101
20/7	0.020
20/4	0.016
25/1	0.121
38/4	0.255
39/1	0.121
23/2	0.040
20/5	0.097
19	0.032
योग :	0.992

ग्राम—जमोनिया हटेसिंह

362/1	0.073
361/3	0.040
योग :	0.113
महायोग :	2.667

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—भाऊखेड़ी तालाब नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन, अधिकारी, इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर

(ख) तहसील—इछावर

(ग) ग्राम—कोलूखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.655 हैक्टयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टयर में)
(1)	(2)
6/1	0.336
11/1	0.303
11/2	0.019
11/3	0.904
11/4	0.004
7/1	0.405
7/2	0.036
7/3	0.336
7/4	0.312
योग :	2.655

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सीप कोलार लिंक परियोजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर

(ख) तहसील—इछावर

(ग) ग्राम—कोलूखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.319 हैक्टयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टयर में)
(1)	(2)
5/2	0.591
5/3	0.024
5/4	0.013
6/1	0.355
6/2	0.258
6/3	0.078
योग :	1.319

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सीप कोलार लिंक परियोजना घोड़ा पछाड़ वियर (डूब) निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 4-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर

(ख) तहसील—इछावर

(ग) ग्राम—वीरपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.317 हैक्टयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हैक्टयर में)
(1)	(2)
2/1	1.061
2/2	1.338
2/3	1.885
3	0.334
59/1/क	0.470
59/1/ख	0.669
59/1/ग	0.662
59/3/क	0.370
59/3/ख	0.528
योग :	7.317

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सीप कोलार लिंक परियोजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 5-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर

(ख) तहसील—इछावर

(ग) ग्राम—अलीपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.829 हैक्टयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हैक्टयर में)
(1)	(2)
30-31/1	0.364
30-31/2	0.194
30-31/3	0.146
30-31/4	0.146
30-31/5	0.194
30-31/6	0.146
30-31/7	0.154
29/9	0.320
26/3	0.607
26/4	0.769
26/5	0.243
29/8	0.546
योग :	3.829

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सीप कोलार लिंक परियोजना घोड़ा पछाड़ वियर (डूब) निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 6-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर

(ख) तहसील—इछावर

(ग) ग्राम—अलीपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.028 हैक्टयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हैक्टयर में)
(1)	(2)
15/1	0.785
15/2	0.421
15/3	0.275

(1)	(2)
15/5	0.304
44/1/1	0.696
44/1/3	0.433
44/1/4	0.421
16/7	0.008
18/2	0.478
33/3ख	0.283
33/3क	0.494
33/2	0.478
33/1	0.534
30-31/1	1.101
29/5	0.791
29/4	0.016
29/6	0.397
29/7	0.113
योग :	8.028

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सीप कोलार लिंक परियोजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर

(ख) तहसील—इछावर

(ग) ग्राम—समापुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.881 हैक्टयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हैक्टयर में)
(1)	(2)
3/14	0.090
3/15	1.011
3/16	0.780
योग :	1.881

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सीप कोलार लिंक परियोजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 8-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर

(ख) तहसील—इछावर

(ग) ग्राम—गाजीखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.128 हैक्टयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हैक्टयर में)
(1)	(2)
13/1	0.061
92/2	0.024
47,48,51/2	0.113
50/2क	0.016
54/2	0.016
92/1/1/3ग	0.113
92/1/1/5ङ	0.154
13/2	0.077
43,44,45,46,50/1	0.170
49/2	0.032
55	0.089
49/1	0.081
92/1/1/4घ	0.182
योग :	1.128

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—कालापीपल तालाब नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सीहोर, दिनांक 25 नवम्बर 2011

प्र. क्र. 9-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर

(ख) तहसील—इछावर

(ग) ग्राम—बोरदीकलॉ

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.137 हैक्टयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हैक्टयर में)
(1)	(2)
12	0.105
13	0.097
14	0.016
15	0.073
18	0.101
19	0.150
21/1/2	0.081
24/1	0.032
24/2	0.061
43, 55/1	0.032
43, 55/2	0.089
43. 55/4	0.073
43, 55/5	0.049
54/3	0.073
57/4	0.077
58	0.028
योग :	1.137

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—अपरबोरदीकलॉ तालाब की नहर के निर्माण हेतु ग्राम बोरदीकलॉ की निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 23 नवम्बर 2011

भू-अर्जन प्र. क्र.-01-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—पंधाना

(ग) ग्राम—नानखेड़ा

(घ) अर्जित रकबा —0.26 हेक्टयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1417	0.14
1418	0.12
कुल योग . .	0.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—घाटाखेड़ी, धुलकोट मार्ग के कि.मी. 8/4-6 में सुक्ता नदी पर पुल निर्माण एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (सेतु निर्माण) संभाग इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

खण्डवा, दिनांक 24 नवम्बर 2011

भू-अर्जन प्र. क्र.-101-अ-82-09-10-नस्ती क्र. 271-एल.ए.-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की

धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—पुनासा

(ग) ग्राम—सिवरिया

(घ) अर्जित रकबा —3.11 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
85/6	0.07
85/7	0.09
85/8	0.04
88	0.03
89	0.14
160/2	0.06
161	0.15
162/5	0.07
162/6	0.16
171	0.17
172/1	0.02
178/2	0.08
179	0.12
180	0.04
186	0.02
187	0.03
188	0.01
191/2	0.01
197/1	0.04
197/2	0.03
198	0.06
255	0.06
256	0.13
257	0.03
260	0.25
301	0.10
304	0.10
306	0.07
307	0.10
323	0.06
324	0.04
325	0.03
326	0.05
328	0.18
329/1	0.04
329/2	0.08
329/3	0.10
330/1	0.06
330/2	0.06
330/3	0.04
330/4	0.03
330/5	0.04
330/6	0.02
कुल योग . .	3.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2011

राज. प्र. क्र.-08-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बुरहानपुर

(ख) तहसील—नेपानगर

(ग) ग्राम—झिरपांजरिया

(घ) क्षेत्रफल—21.98

खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
(1)	(2)
51/2	0.80
51/3	0.80
97	0.64
98/1	1.22
98/2	0.80
101/2	0.14
104/1	0.24
104/2	0.21
104/3	0.06
104/4	0.65
108	0.45
110	1.67
111/2	0.80
111/3	0.70
112	3.62
242/1	1.27
242/2	1.27
242/3	1.27
358/1	1.21
358/2	1.21
358/3	1.21
368	0.11
387	0.13
388	0.17
398/2	0.13
399/2	0.04
400	0.16
401	0.07
403	0.16
115/1	0.02
115/2	0.02
121/1	0.09
121/4	0.09
121/2	0.09
121/3	0.09
234/2	0.04
235	0.04
236/1	0.16
236/2	0.06
236/3	0.07
कुल योग . .	21.98

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—झिरपांजरिया तालाब के शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी नेपानगर कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनु पन्त, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 26 नवम्बर 2011

क्र. 688-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा (म. प्र.)

(ख) तहसील—हनुमना

(ग) ग्राम—नरसिंहपुर

(घ) क्षेत्रफल—17.350 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
99/1	1.815
99/2	0.454
113/1	2.948
113/2	2.948
101/1	2.897
101/2	2.897
146/1	0.487
146/2क	0.243
146/2ख	0.243
146/3	0.481
146/5	0.647
146/6	0.645
146/7	0.645
	17.350

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—बमरहा बांध योजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 26 नवम्बर 2011

क्र. 2036-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) ग्राम—बगढ़ा 338

(घ) क्षेत्रफल लगभग—3.646 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
120	0.020
121	0.028
122	0.057
124	0.053
125	0.008
126	0.028
127	0.004
129	0.081
130	0.069
131	0.028
145	0.081
146	0.146
147	0.073
150	0.069
151	0.121
152	0.049
342	0.266
345	0.146
346	0.073
349	0.097
350	0.004
356	0.133
359	0.073
360	0.012
361	0.057
362	0.081
363	0.032
373	0.004
374	0.024
375	0.024
379	0.097
380	0.105
381	0.105
382	0.108
422	0.008
443	0.474
446	0.012
447	0.152

(1)	(2)
448/643	0.004
449	0.097
450	0.128
451	0.004
452	0.152
599	0.077
600	0.061
601	0.121
योग . .	3.646

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2039-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) ग्राम—गभुवानी मुड़वाह 126

(घ) क्षेत्रफल लगभग—1.272 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टे. में)
(1)	(2)
1	0.048
2	0.048
3	0.24
7	0.016
25	0.088
26	0.160
34	0.288
35	0.016
36	0.0161
44	0.176
45	0.024
46	0.152
योग. .	1.272
शास. भूमि	—

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रीवा, दिनांक 30 नवम्बर 2011

पत्र क्र. 2098-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रामनगर

(ग) ग्राम—गिधैली

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.080 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
34/1जुज	0.080
योग . .	0.080

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—बाणसागर परियोजना बांध के अंतर्गत डूब में आने वाले निजी भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 2100-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित

भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—मैहर

(ग) ग्राम—नौगवां

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.090 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
183/2	2.090
योग . .	2.090

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—बाणसागर परियोजना बांध के अंतर्गत डूब में आने वाले निजी भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 2102-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—मैहर

(ग) ग्राम—आमातारा

(घ) क्षेत्रफल लगभग—7.094 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
67/1ख	0.049
76/1	2.592
76/2	2.592
78	0.199
79	0.136
81	0.690
95	0.836
योग . .	7.094

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—बाणसागर परियोजना बांध के अंतर्गत डूब में आने वाले निजी भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 2104-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—मैहर

(ग) ग्राम—बड़ारी

(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.380 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
49 जुज	0.380
योग . .	0.380

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—बाणसागर परियोजना बांध के अंतर्गत डूब में आने वाले निजी भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 2106-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रामनगर

(ग) ग्राम—कुदरी कला

(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.300 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
216/2 जुज	0.098
216/3	0.202
योग . .	0.300

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—बाणसागर परियोजना बांध के अंतर्गत डूब में आने वाले निजी भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 2108-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रामनगर

(ग) ग्राम—कल्ला कला

(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.048 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
117/1 जुज	0.048
योग . .	0.048

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—बाणसागर परियोजना बांध के अंतर्गत डूब में आने वाले निजी भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 2110-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रामनगर

(ग) ग्राम—कुशमहा

(घ) क्षेत्रफल लगभग—1.640 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
27/1 ब	1.640
योग . .	1.640

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—बाणसागर परियोजना बांध के अंतर्गत डूब में आने वाले निजी भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 28 नवम्बर 2011

क्र. 418-प्र.क्र.01-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—धरमपुरी
(ग) ग्राम—सरजापुर
(घ) क्षेत्रफल—2.121 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
232	0.260
233/1	0.090
233/2	0.085
233/3	0.086
233/4	0.205
233/5	0.110
233/6	0.110
353/237	1.025
277	0.150
योग :	2.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन अधिकारी, स. स. प./औंकारेश्वर नहर परियोजना धरमपुरी, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 428-प्र.क्र.02-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—धरमपुरी
(ग) ग्राम—कुसूमला
(घ) क्षेत्रफल—8.942 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
3/2	0.230
6/2	0.020
4	0.190
5	0.375
7/1	0.155
7/11	0.025
27/3	0.320
7/3	0.095
7/4	0.085
27/5	0.130
7/12	0.170
27/1	0.560
8	0.030
9/1	0.063
10/1/3	0.475
9/2	0.400
10/1/2	0.050
10/1/4	0.200
27/4	0.140
30/1/1	0.050
30/1/2	0.877
30/2	0.660
31	0.035
32	0.070
33	0.035
34/3	0.080
34/4	0.080
34/5	0.110
34/6	0.215
34/7	0.215
34/8	0.215
35	0.980

(1)	(2)
41/2	0.040
38/1	0.020
39/1	0.015
39/2	0.181
39/3	0.132
40	0.485
41/1	0.160
43/1	0.379
43/2	0.195
योग :	8.942

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर उद्‌वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन अधिकारी, स. स. प./औंकारेश्वर नहर परियोजना धरमपुरी, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 412-प्र.क्र.03-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धरमपुरी

(ग) ग्राम—उमरिया

(घ) क्षेत्रफल—15.954 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
73/1/3	0.585
74	0.050
75/1/1	0.540
75/2	0.696
75/1/2	0.379
85/1	0.185
128/1	0.367
85/2	0.101
86	0.354
87/1	0.100
87/2	0.095
88/1	0.065
88/2	0.080
87/3	0.120
88/3	0.110
89/3	0.215
89/2/1	0.310
89/2/2	0.405
127/5	0.060
127/6	0.070
132/1/1/1/1	0.480
135/3	0.632
132/1/1/2	1.160
132/2	0.050
135/2/1	0.885
143/2/1	0.180
144/2/1	0.361
144/2/3	0.063
143/2/2	0.100
144/2/2	0.361
144/2/4	0.020
141/1	0.494
141/2	0.050
144/1	0.280
189	0.300
234/2	0.367
231	1.280
232	0.090
238	0.330
239	0.090
234/1	0.379
236	0.570
237	0.280
242/1	0.210
242/2	0.170
243/1	0.307
243/2	0.307
243/3	0.210
243/4	0.090
243/5	0.010
243/6/1	0.080
243/6/2	0.089
265/1	0.200
265/2/1	0.137

(1)	(2)
268/1/2	0.030
268/2	0.040
268/3	0.010
268/4	0.135
270/1/1	0.130
270/1/2	0.110
योग :	15.954

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर उद्‌वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन अधिकारी, स. स. प./औंकारेश्वर नहर परियोजना धरमपुरी, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 427-प्र.क्र.04-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धरमपुरी

(ग) ग्राम—ढापला

(घ) क्षेत्रफल—13.713 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
153/5	0.424
169/3	0.093
153/6	0.005
169/1	0.015
153/7	0.280
169/2	0.092
155/1	0.470
155/2	0.110
158	0.125
159	0.285
161	0.278
172	0.665
160	0.140
234	0.030
162	0.035
173/2	2.600
167	0.110
174/2	0.220
175/1/1	0.020
175/1/2	0.040
175/2	0.060
175/3	0.130
228/1/2	0.020
236/1/1/1/2	0.018
228/1/3	0.030
228/2	0.005
236/1/1/1/1	0.280
236/1/2	0.310
236/1/1/2	0.126
236/2	0.379
236/3	0.410
238/1	0.484
238/2	0.410
239/1	0.781
239/2	0.781
239/3	0.020
239/4	0.290
243/8	0.810
243/9	0.610
243/10	0.310
246/2	0.329
265	0.089
267	0.974
271/1	0.020
योग :	13.713

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर उद्‌वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन अधिकारी, स. स. प./औंकारेश्वर नहर परियोजना धरमपुरी, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 415-प्र.क्र.05-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धरमपुरी

(ग) ग्राम—बगवान्या

(घ) क्षेत्रफल—28.675 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
34	0.170
35	0.750
36	0.140
42/1	0.442
42/2	1.707
42/3	0.490
42/4	0.383
44/1/1	0.045
44/1/2	0.040
44/1/3	0.040
44/1/4	0.110
44/1/5	0.040
44/1/6	0.005
44/2	0.670
44/3	0.100
47/1	1.850
47/2	0.010
48	0.270
57/1/1	1.200
57/1/2	0.120
57/1/3	0.020
57/1/4	1.335
57/2	0.120
59	0.010
60/1	
116	0.035
118/1	
120/1/1	0.404
120/1/2/1	0.261
120/1/2/2	0.131
120/2	0.005
120/3	0.550
120/5	0.170
121/1	0.070
121/2	0.040
121/3/1	0.010
122/1	0.020
122/3	0.440
122/4	0.417
129/2/1	0.355
129/2	0.420
131/3	0.060
154/1	0.005
156/1	0.370
156/2	0.418
156/3	0.455
646/1/1	0.230
646/1/2	0.400
646/1/3	0.910
656/2	0.696
656/3	0.270
656/4	0.740
661	0.100
664/2	0.005
665/1	0.565
681/1	0.060
683	0.220
684/1	0.675
684/2	0.253
685	0.140
687/1/1	0.045
699/1	0.130
699/2	0.360
699/3	0.565
700	0.455
701/1	0.395
701/2	0.150
701/3	0.040
712/2	0.010
714/2	0.300
715/1/1	0.130
715/1/2	0.150
719	0.660
720	0.915

(1)	(2)
721	0.205
725	0.060
726	0.115
727	0.310
744/1	0.040
744/2	0.045
745/2	0.340
747/1/1	0.325
747/1/2	0.330
748/1	0.295
748/2	0.920
751	0.180
752	0.315
754/1	0.076
754/2	0.152
754/3	0.190
756/1	0.060
756/2	0.130
756/3/1	0.250
756/3/2	0.065
योग :	28.675

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर उद्‌वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन अधिकारी, स. स. प./औंकारेश्वर नहर परियोजना धरमपुरी, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 421-प्र.क्र.06-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धरमपुरी

(ग) ग्राम—शाहपुरा काकड़दा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.005 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
68/1/1	0.060
68/1/2	0.126
68/1/3	0.110
68/1/4	0.230
68/1/5	0.661
68/2	0.560
72	0.915
73/1	0.445
73/2	0.230
73/3	0.130
73/4	0.130
74/1/1	0.015
76/1	0.300
76/4/1	0.130
76/4/2	0.045
79	0.089
80/1/6	0.294
80/5	0.600
80/3	0.506
80/4	0.040
85/1	0.100
85/12	0.140
85/3	0.015
85/10	0.240
85/4	0.442
85/11	0.130
85/5	0.140
85/6	0.025
85/7	0.010
102/22	0.070
102/23	0.240
130/1	0.089
130/2	0.228
130/3	0.177
130/4	0.126
130/5	0.152
130/6	0.063
130/7	0.101
137	0.104
138/1	0.081
138/2	0.400
138/3	0.150

(1)	(2)
138/4	0.240
138/5	0.260
138/6	0.240
138/7	0.260
138/8	0.100
138/9	0.240
139/9	0.040
138/10	0.240
139/10	0.131
140/2	0.230
140/4	0.030
140/5	0.320
140/6/2	0.600
140/9/1	0.235
योग :	12.005

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर उद्‌वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन अधिकारी, स. स. प./औंकारेश्वर नहर परियोजना धरमपुरी, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 430-प्र.क्र.07-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धरमपुरी

(ग) ग्राम—चिकट्याबड़

(घ) लगभग क्षेत्रफल—21.892 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
93/2	0.540
93/3	0.360
95	0.030
96/2	0.010
99	0.400
102/2	0.295
102/6	0.850
102/4	0.100
102/7/1	0.140
120	0.015
121	0.275
125/1/1	0.189
125/1/2	0.045
149/2	0.260
150/1/1	0.759
150/1/3/1	0.005
150/1/3/2	0.020
150/3	0.530
150/4	0.460
151/2	0.810
151/3	0.310
308	0.230
309/1	0.550
309/2/2	0.610
309/3/1	0.260
309/3/2	0.265
309/3/3	0.265
309/4	0.330
312/1/1	0.320
312/1/2	0.360
312/2	0.430
323/1	0.650
323/2	0.695
323/3	0.050
324/1	0.995
326/3	0.379
326/4	0.202
326/5	0.202
345/2	0.040
356/1/1/क	0.580
356/1/1/ख	0.150
356/1/1/ग	0.150
356/1/1/घ	0.150
356/1/2	0.320
365/1/2/1	0.440
365/1/6/1	1.397
366/1/1	0.300

(1)	(2)
365/2	0.090
366/2	0.075
367/1	0.455
367/3/3	0.195
367/4/3	0.200
367/5/1/1	0.215
368/2	0.200
391	0.180
392/2/1	0.670
393/1	0.650
396/2	0.110
394 पै.	0.130
396/1	0.130
396/3 पै.	0.532
399/2 पै.	0.012
404	0.275
405/1 पै.	0.780
405/3	0.270
योग :	21.892

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन अधिकारी, स. स. प./औंकारेश्वर नहर परियोजना धरमपुरी, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 28 नवम्बर 2011

प्र क्र. 04-अ-82-2010-11-क्र.-भू-अर्जन-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मंदसौर

(ख) तहसील—मल्हारगढ़

(ग) नगर/ग्राम—रतन पिपलिया, मगराना, सुथार बोलिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—26.334 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	कुल रकबा हे.	अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.)
(1)	(2)	(3)
ग्राम-रतन पिपलिया		
154 मी 2	0.1000	0.1000
158	0.890	0.300
159	0.920	0.520
165 मी 1	0.160	0.160
165 मी 2	0.360	0.200
167 मी 1	0.920	0.700
8 मी 15	0.520	0.080
152	0.400	0.060
150	0.380	0.052
151	0.700	0.080
	योग :	2.252
ग्राम-मगराना		
496	0.110	0.100
511	0.310	0.310
509	0.390	0.290
512	0.090	0.090
513	0.090	0.090
514	0.180	0.180
515	0.750	0.750
517/1	0.220	0.110
517/2	0.980	0.050
594	0.240	0.240
593	0.450	0.250
595	0.130	0.130
596	0.130	0.130
597	0.110	0.030
598 मी 1	0.520	0.150
600	0.340	0.170
601/1	0.060	0.060
601/4	0.060	0.020
601/5 मी 1	0.060	0.050

(1)	(2)	(3)
602	0.340	0.080
606	0.750	0.350
607	0.340	0.340
608/1 मी 2	0.250	0.040
626	1.510	0.410
603	0.110	0.110
627	0.460	0.270
628	1.520	1.140
629	0.950	0.750
630	1.020	1.020
632	0.250	0.250
633	0.500	0.500
634/1	0.750	0.550
634/2	0.770	0.770
635	0.400	0.200
636	0.170	0.170
637	0.170	0.170
638	0.170	0.170
639	0.360	0.360
640	0.360	0.360
695	0.150	0.150
696	0.180	0.180
694	0.140	0.140
702	0.690	0.070
706	0.190	0.030
707	0.090	0.090
708	0.240	0.240
710/4	0.850	0.850
710/5	0.610	0.610
710/6	0.500	0.500
711	0.220	0.220
713	0.100	0.100
714/2	0.110	0.110
714/1	0.210	0.210
715	0.540	0.540
716	0.130	0.130
717/1	0.270	0.270
717/2	0.120	0.120
718/1	0.410	0.410
718/2	0.140	0.140
718/3	0.002	0.002
719	0.490	0.490
720/1	0.120	0.120
720/2	0.120	0.120
721/1	0.240	0.240
721/2	0.010	0.010
722	0.240	0.240
723	0.240	0.240
724	0.070	0.070
725	0.070	0.070
726/1	0.070	0.070
726/2	0.070	0.070
727	0.140	0.140
728/1	0.260	0.260
728/2	0.270	0.270
729/1	0.070	0.070
729/2	0.070	0.070
732	1.250	0.850
735	1.270	0.550
736	2.020	0.300
737	1.370	0.135
1099/मी 3	0.500	0.500
1099/मी 2	0.750	0.500
1099/मी 1	0.750	0.010
1102/743/3	0.480	0.220
738	0.180	0.125
740	0.370	0.180
741	1.300	0.300
742	0.250	0.250
743	0.250	0.100
		योग : 22.892
	ग्राम-मगराना	
121/1	0.640	0.640
121/2	0.640	0.200
123	1.760	0.250
124	0.590	0.100
		योग : 1.190
		महायोग : 26.334

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—रतन पिपलिया तालाब निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मल्हारगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मंदसौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 29 नवम्बर 2011

प्र क्र. 8अ-82-2010-11-भू-अर्जन-8672.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—रिधोरा
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—60
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—5.766 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
921	0.215
927	0.458
922	0.364
925	0.089
928/1	0.344
928/2	1.437
929/1	0.178
931/4	0.081
929/4	0.186
931/2	0.028
931/5	0.121
929/5	0.121
931/3	0.097
931/6	0.256
930/1	0.283
1277	0.194
930/2	0.243
948/1	0.121
939	0.016
948/2	0.057
948/3	0.169
948/4	0.056
948/5	0.224
1279	0.170
1280/1	0.101
1280/2	0.101
1289/1	0.040
1289/2	0.016
योग :	5.766

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—रिधोरा लघु जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र क्र.10अ-82-2010-11-भू-अर्जन-8671.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—सोंडिया
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—61
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—8.906 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
26/2	0.180
71	0.364
25	0.138
195/2	0.155
70	0.223
195/1	0.344
16/2	0.162
30/5	0.090
72	0.285
18/5	0.101
26/5	0.024
30/2	0.023
18/4	0.101
30/3	0.023

(1)	(2)
194	0.101
73	0.089
18/1	2.155
28	0.263
16/4	0.089
30/1	0.023
16/3	0.061
18/3	0.081
38/2	0.469
39/1	0.843
37/2	0.050
26/1	0.259
27	0.142
16/1	0.121
37/1	0.051
38/1	0.518
39/2	0.712
40	0.081
19/1	0.060
16/5	0.219
18/2	0.081
30/4	0.023
16/6	0.032
3/1	0.170
योग :	8.906

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—रिधोरा लघु जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 30 नवम्बर 2011

क्र. 16524-25-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—राजगढ़

(ग) ग्राम—कुण्डीबे एवं चांदपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.598 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
ग्राम-कुण्डीबे	
310	0.424
359	0.222
511/1	1.517
512/2/2	1.770
योग :	3.933
ग्राम-चांदपुरा	
140/1	0.602
140/2/1	0.089
157/2	1.120
157/4/1	0.800
156	0.056
152	0.100
157/3/1	1.120
157/4/2	0.560
157/1	0.080
157/3/2	1.138
योग :	5.665
महायोग :	9.598

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—कुण्डीबे तालाब, डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मुरैना, दिनांक 30 नवम्बर 2011

पृ. क्र. क्यू-कोर्ट कले.-राजस्व-भू-अर्जन-01-10-11-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मुरैना

(ख) तहसील—मुरैना

(ग) नगर/ग्राम—बमूर बसई

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.552 हेक्टर स्थाई
0.486 हेक्टर अस्थाई
कुल रकबा 1.038 हेक्टर अस्थाई

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
79	0.552 हेक्टर स्थाई
	0.486 हेक्टर अस्थाई
	योग : 1.038 हेक्टर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बमूर बसई तालाब के बांयी ओर के बेस्ट वीयर की लम्बाई बढ़ाये जाने के लिये ग्राम बमूर बसई की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग खण्ड जौरा, जिला मुरैना एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय मुरैना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2011

क्र. 3 भू-अ.-ए 82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

(क) जिला—भोपाल

(ख) तहसील—बैरसिया

(ग) ग्राम—पीपलखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—27.760 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
218/1	0.440
218/2	0.370
140	0.340
406	0.210
403	2.900
402	0.220
330	0.290
318	1.090
394	1.300
407	0.360
408	0.480
121	0.440
124	0.490
126	0.050
127	0.540
214	0.810
139	0.340
49	0.140

(1)	(2)
50	0.420
119/1	0.070
119/2	0.080
119/3	0.140
130	0.130
317/2	0.250
395	0.280
397	0.770
314/1	0.310
314/2	0.320
51	0.760
52	0.360
316	1.240
14	0.500
16	0.500
326	0.210
327	0.150
404	0.250
211/2	0.330
146/1	0.460
149	0.460
46/1	0.340
146/2	0.420
144	0.490
317/3	0.120
47	0.100
48	0.180
46/2	0.340
141	0.330
405	0.500
317/1	0.080
320	0.460
15	0.780
321/1	1.360
328	0.070
329	1.080
331	0.080
332	0.210
142	0.080
135/1	0.210
135/2	0.130
138/1	0.150
138/2	0.120
153	0.070
123	1.260
कुल योग :	27.760

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 15 भू-अ.-ए 82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—भोपाल
(ख) तहसील—बैरसिया
(ग) ग्राम—भैसखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—80.197 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
63/1/2	0.607
63/1/1	0.607
39/2	0.202
470/399/2	0.243
401/2	0.542
191	0.760
62/1/2	0.057
62/2	1.012
70/1	0.809
59/2	2.382
57/1	1.927

(1)	(2)
59/1	2.382
199/1/1	0.612
41/2	0.628
35, 40/2/2	2.172
77/1	1.619
75/1	1.619
457/417/3	0.303
25/1/2	0.607
194/1	1.619
197/1/1	0.660
197/1/2	0.659
305/2/1	0.196
305/2/2	2.023
306/1	3.521
305/1/1	0.529
283/1/1	0.241
283/1/2	0.506
421/2/1	1.295
421/2/2	1.619
421/2/3	1.760
457/417/2	0.445
25/3, 26/2	0.510
27/2	0.304
73/2	1.136
62/1/1	2.630
278	0.717
403/1	3.649
202/1	0.405
401/10	0.809
401/5	0.643
199/1/2	0.294
307/1	0.405
203/1	0.405
456/417/1	0.607
456/417/2	0.202
27/2	0.304
421/1	1.501
47/1/1	1.981
47/1/2	1.981
270/2	1.219
419/4	0.178
419/7	0.587
417/1/1क	0.343
420/1/1	0.262
20	0.938
23	0.890
419/3	0.174
419/8	0.587
419/6	0.178
419/9	0.534
419/2	0.202
401/3	0.429
401/8	0.539
419/5	0.178
419/10	0.587
401/6	0.539
283/1/3	0.405
471/305/283	1.453
305/1/2	0.929
401/9	0.809
401/4	0.643
73/1	1.142
60	4.206
457/417/1	0.164
417/1/1ख	0.344
417/1/2/2	0.405
420/1/2	0.263
419/1	0.202
417/1/2/1	0.486
420/2	0.321
424/5	2.280
424/4	2.140
424/1/1	1.619
424/3/1	1.376
424/3/3	
योग :	80.197

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निकुंजकुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

पत्र क्र. क-भू-अर्जन-तेंदूखेड़ा-2011-.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—जबेरा
(ग) नगर/ग्राम—बम्हौरी, सिंगौरगढ़, कांटी, मुडेरी, बिछिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.80 हैक्टर.

खसरा नं. (1)	रकबा (हे. में) (2)
ग्राम—बम्हौरी सिंगौरगढ़	
7/1	0.15
8	0.04
7/2	0.30
6	0.20
12/1	0.43
13	0.10
24/2	0.01
25	0.04
15/2	0.25
14/1	0.27
23/1	0.27
26	0.02
27	0.02
28	0.05
11/2	0.08
29/1	0.09
योग :	2.32
ग्राम—मुड़ेरी	
52/2	0.08
53	0.62
54	0.01
44	0.65
योग :	1.36
ग्राम—कांटी	
160/2	0.05
161	0.25
162/1	0.19
170/2	0.55
170/3	0.52
172	0.05
174	0.10
189	0.35
191/2	0.47
193	0.35
283	0.41
284	0.22
285	1.02
योग :	4.53
ग्राम—बिछिया	
108	0.20
109	0.57
110	0.32
117	0.21
118	0.49
120	0.13
122	0.27
123	0.15
130	0.51
133	0.35
137	0.03
138	0.36
योग :	3.59
महायोग :	11.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—जबेरा बायपास निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, तेंदूखेड़ा एवं मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवानंद दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.